New_Guideline_Final_Update1

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (संशोधित)

1. प्रस्तावना :–

वर्तमान में राज्य का उच्च शिक्षा में GROSS ENROLMENT RATIO (GER) 14.3 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात लगभग 24 प्रतिशत है। राज्य सरकार का ध्येय है कि बिहार का GER राष्ट्रीय औसत के बराबर करते हुए 30% तक की वृद्धि करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जायें एवं राज्य को विकसित राज्यों की अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया जाए। अतः आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अन्तर्गत विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। किन्तु इस योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अनुभवों के कारण बैंकों की भूमिका को सीमित करते हुए संशोधित 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के द्वारा उच्च शिक्षा में GER की वृद्धि के साथ–साथ युवाओं के रोजगार की प्राप्ति में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

2. लक्ष्य :–

इस योजना का लक्ष्य आवश्यकता के अनुसार लचीला होगा। जितने पात्र विद्यार्थी इस योजना के लाभ हेतु इच्छुक होंगे, उतने विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 में 50,000, वित्तीय वर्ष 2019–20 में 75,000 एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में 1,00,000 अनुमानित विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने का प्रारंभिक अनुमान है।

3. योजना के लिए पात्रता :–

इस योजना के तहत बिहार राज्य के निवासी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार राज्य एवं सीमावर्त्ती राज्यों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु ऋण के लिए इच्छुक हों, उन्हें बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य है कि –

(i) विद्यार्थी द्वारा बिहार एवं अन्य राज्य या केन्द्र सरकार के संबंधित नियामक एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया गया हो या नामांकन के लिए चयनित हो।

(ii) यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों, विभिन्न व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए दी जा सकेगी। पाठ्यक्रम की सूची अनुलग्नक–3 में अंकित है, जिसमें समय–समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन कर नए पाठ्यक्रमों को शामिल या विलोपित किया जा सकेगा।

(iii) इस योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 12वीं अथवा समतुल्य (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा

बिहार राज्य के सीमावर्ती जिलों के सीमावर्ती प्रखंडों के सीमावर्ती राज्य यथा झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं प० बंगाल के विद्यालय या बोर्ड से 10वीं/ 12वीं/+2 (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) उत्तीर्ण बिहार राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा।

(iv) आवेदक विद्यार्थियों के हॉस्टल में रहने की स्थिति में आवेदक के शैक्षणिक संस्थान को राशि उपलब्ध करायी जाएगी। शिक्षण संस्थान के हॉस्टल में नहीं रहने की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए फीस के अतिरिक्त अन्य रहने के खर्च (living expenses) के लिए अनुलग्नक–'1' के अनुसार वर्गीकृत शहरों के लिए निर्धारित किये गए मानक का विवरण अनुलग्नक–'2' की निर्धारित दर पर आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। महँगाई के आधार पर रहने एवं जीवन–यापन के दर में आवश्यकतानुसार शिक्षा विभाग द्वारा वृद्धि की जा सकेगी।

(v) इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर के वैसे निर्धारित पाठ्यक्रम जिनमें नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है, के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होगी।

(vi) यदि आवेदक के पास एक स्तर की उपाधि परिलब्ध है, तो उसी स्तर की उपाधि के लिए इस योजनान्तर्गत आच्छादन नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान तकनीकी अथवा प्रबंधकीय पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। उदाहरणस्वरूप विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त व्यक्ति को पुनः कला, विज्ञान के किसी अन्य संकाय में अथवा वाणिज्य में स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। परंतु विज्ञान, कला अथवा वाणिज्य में स्नातक योग्यताधारी आवेदक को एम०बी०ए०, एम०सी०ए० इत्यादि करने के लिए योजनान्तर्गत आच्छादन की पात्रता रहेगी।

(vii) लाभार्थियों के द्वारा पढ़ाई को किसी भी कारण से बीच में छोड़ने पर ऋण की शेष राशि संस्थान या विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं करायी जाएगी अर्थात इस योजना के तहत विद्यार्थी को शिक्षा ऋण की अगली किस्त उनके संबंधित संस्थान/पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रहने की स्थिति में ही उपलब्ध कराई जा सकेगी।

4. <u>आवेदन की प्रक्रिया</u> :–

(i) इस योजना का लाभ लेने हेतु Online आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। कोई भी इच्छुक विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) उत्तीर्ण हो तथा इस योजना के लिए पात्रता रखता हो, वह Online Portal अथवा Mobile App के माध्यम से अपना आवेदन Online समर्पित कर सकता है।

(ii) सर्वप्रथम आवेदक द्वारा पोर्टल/Mobile App में सामान्य वांछित सूचनाएँ दर्ज की जाएगी, जिसे submit करने पर One Time Password उनके मोबाईल नंबर एवं ई–मेल पर प्राप्त होगा।

(iii) इस One Time Password को पोर्टल में डालने पर आवेदक को व्यक्तिगत विवरणी संबंधी प्रपत्र उपलब्ध होगा। इसमें आवश्यक सूचना दर्ज कर submit करने पर एक Web page खुलेगा, जिसमें उपलब्ध 'बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना' का ऑनलाईन प्रपत्र चयन कर उसमें वांछित सूचनाएँ दर्ज करनी होगी।

(iv) Online आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदक को इसकी प्राप्ति यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल नं० एवं ई–मेल पर क्रमशः मैसेज एवं मेल द्वारा भेज दी जाएगी।

(v) आवेदन के साथ किसी भी प्रकार का कागजात Online संलग्न नहीं किया जाना है। Online आवेदन समर्पित करने के साथ ही आवेदन प्रपत्र की एक PDF प्रति सृजित होगी, जिसमें काउण्टर पर आने के समय वांछित आवश्यक कागजातों का भी उल्लेख होगा।

(vi) जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र द्वारा आवेदक को केन्द्र पर आने हेतु तिथि एवं समय की सूचना email एवं SMS द्वारा भेजी जाएगी। यद्यपि आवेदक अपनी सुविधानुसार भी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन–पत्र की हार्ड प्रति समर्पित कर सकते है।

(vii) निर्धारित तिथि को अर्हता प्राप्त आवेदक अपने जिले के जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन–पत्र के अनुरूप वांछित सूचना एवं शिक्षा ऋण के लिए वांछित कागजात के साथ अपना आवेदन जमा करेंगे।

(viii) आवेदन की PDF प्रति पर स्व–हस्ताक्षर के उपरान्त अपना एवं सह–आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर एवं वांछित कागजातों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित संसूचित तिथि/ऐच्छिक तिथि को केन्द्र पर आयेंगे। उन्हें वांछित सभी कागजातों की मूल प्रति भी साथ में रखनी होगी।

(ix) आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के प्रवेश द्वार पर एक टोकन नम्बर दिया जाएगा, जिसके आधार पर केन्द्र के हॉल में आवेदक की प्रविष्टि होगी। आवेदक केन्द्र में प्रवेश कर प्रतीक्षा हॉल में अपने नम्बर आने की प्रतीक्षा करेंगे। आवेदक को उपलब्ध कराये गए टोकन नं० का प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बोर्ड पर किया जाएगा।

(x) आवेदक अपना क्रमांक आने पर सारे मूल प्रमाण–पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की स्वभिप्रमाणित प्रति एवं आवेदन–पत्र के PDF की हस्ताक्षरित प्रति के साथ निर्धारित काउंटर पर जायेंगे, जहाँ आवेदक के आधार का प्रमाणीकरण किया जाएगा।

(xi) मूल प्रमाण पत्र scanning के पश्चात् आवेदक को वापस कर दिए जायेंगे तथा स्व–हस्ताक्षरित आवेदन एवं अन्य कागजातों की छायाप्रति को काउंटर पर जमा कर लिया जाएगा।

(xii) कागजातों के सत्यापन के उपरांत उन्हें काउंटर से एक प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी।

(xiii) आवेदन में किसी भी प्रकार के गलत प्रविष्टि का संशोधन उसी समय Multi Purpose Assistant (MPA) द्वारा किया जा सकेगा।

5. <u>आवश्यक कागजात</u> :–

बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु इच्छुक आवेदकों को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन जमा करते समय अपने स्वहस्ताक्षरित आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों के छायाप्रति की स्वभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी :–

(i) आवेदक एवं सह–आवेदक का आधार कार्ड।

(ii) मैट्रिक, +2 (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंक–पत्र एवं प्रमाण–पत्र।

(iii) प्राप्त छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रमाण–पत्र इत्यादि (यदि लागू हो)।

(iv) आवेदक के बैंक पासबुक की छाया प्रति, जिसमें शाखा का नाम, खाता सं० एवं IFSC कोड अंकित हो।

(v) संस्थान में नामांकन का प्रमाण–पत्र जिसमें पाठ्यक्रम अवधि अंकित हो (अथवा बिहार राज्य से बाहर के संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका)।

(vi) संस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी।

(vii) आवेदक एवं सह–आवेदक यथा – माता/पिता/पति/अभिभावक (रक्त संबंधी) का दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।

(viii) आवासीय प्रमाण पत्र अथवा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो अथवा बिजली बिल अथवा टेलिफोन बिल अथवा पासपोर्ट अथवा ड्राईविंग लाईसेंस अथवा वोटर आई०डी० कार्ड अथवा मतदान हेतु प्रयुक्त प्रमाण पत्रों में से कोई एक।

6. सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के प्रवेश द्वार के समीप स्थापित 'May I Help You' काउंटर पर आवेदक को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा उनकी सामान्य पृच्छा का समाधान किया जाएगा। आवेदक अपनी पृच्छा का समाधान मुख्यालय स्तर पर स्थापित Call Centre से भी कर सकते हैं।

7. <u>आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया</u> :–

(i) आवेदक द्वारा ऑन–लाईन आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदन की PDF प्रति एवं वांछित कागजातों/प्रमाण पत्र जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर Multi Purpose Assistant (MPA) को उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) काउन्टर पर MPA द्वारा जाँचोपरांत प्राप्त आवेदन पत्र की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति सहायक प्रबंधक को उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक प्रबंधक के द्वारा आवेदक के सम्पूर्ण अर्हत्ता एवं कागजातों के उपलब्धता की सुनिश्चितता के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर आवेदन जाँच/सत्यापन हेतु Third Party Verification Agency (TPVA) को ऑन–लाईन अंतरित की जाएगी।

(iii) TPVA से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित बिन्दुओं के आधार पर नोडल पदाधिकारी द्वारा दो दिनों में ऋण की स्वीकृति की अनुशंसा करते हुए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को ऑन–लाईन प्रेषित की जाएगी। सॉफ्ट कॉपी बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को ऑन–लाईन हस्तांतरित करने के उपरांत आवेदन की हार्ड कॉपी निगम के जिला स्तरीय कोषांग को हस्तांतरित की जाएगी जहाँ निगम के प्राधिकृत पदाधिकारी उसे भविष्य के संदर्भ हेतु संधारित करेंगे। आवेदन की सॉफ्ट कॉपी के विधिवत् संधारण के संदर्भ में विस्तृत निदेश बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा निर्गत किया जाएगा।

(iv) जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र दिनांक–01.04.2018 से आवेदन निगम को भेजना प्रारंभ कर देगा। दिनांक–31.03.2018 तक जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में लंबित मामलों को भी निगम को प्रेषित किया जाएगा, जिसका निष्पादन निगम के द्वारा किया जाएगा। दिनांक–01.07.2018 से आवेदनों का निष्पादन निगम के द्वारा 15 कार्य दिवस की समय–सीमा में किया जाएगा।

(v) निगम द्वारा आवेदन को स्वीकृत करने में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर उन आपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए आवेदन नोडल पदाधिकारी को वापस किया जाएगा। ऐसे आवेदनों को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र द्वारा अधिकतम 15 कार्य दिवस में यथा स्थिति निराकरण कर निगम को वापस उपलब्ध कराया जाएगा। आपत्तियों का निराकरण संभव नहीं होने की स्थिति में नोडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा निर्गत किया जाएगा।

(vi) ऋण स्वीकृति के उपरांत आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

(vii) बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा आवेदन की स्वीकृति किए जाने के उपरांत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर उपस्थित होने हेतु आवेदक को सूचना निगम के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा SMS तथा e-mail से दी जाएगी। सूचना में उपस्थित होने की निर्धारित तिथि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। निर्धारित तिथि को आवेदक के उपस्थित होने पर ऋण के Documentation से संबंधित कार्य का निष्पादन किया जाएगा। Documentation के उपरांत निगम के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा इसकी सूचना निगम के मुख्यालय को दी

जाएगी, जहाँ से राशि आवेदक द्वारा याचित शैक्षणिक संस्थान और/अथवा आवेदक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

(viii) इस योजना के सभी स्तर पर सेवाओं के निष्पादन हेतु अधिकतम समयावधि निम्न प्रकार होगी –

क्र०सं०	गतिविधि	अधिकतम समय
1	आवेदक के काउण्टर पर उपस्थित होने के उपरांत उसके आवेदन–पत्र की MPA द्वारा प्रारंभिक जाँच, वांछित कागजातों की uploading तथा प्राप्त आवेदन को Online एवं Offline चिन्हित सहायक प्रबंधक को उपलब्ध कराना।	15 मिनट
2	चिन्हित सहायक प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन की जाँच कर उसे अपनी अनुशंसा के साथ विभागीय नामित पदाधिकारी से सहमति प्राप्त कर सत्यापन हेतु TPVA को ऑनलाईन अंतरित करना एवं हार्ड कॉपी को अपने पास संधारित रखना।	15 मिनट
3	शिक्षा विभाग द्वारा चयनित सत्यापन एजेंसी (TPVA) के द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर प्रतिवदेन उपलब्ध कराना।	आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अंदर
4	TPVA से प्राप्त प्रतिवेदन के उपरांत नोडल पदाधिकारी द्वारा ऋण की स्वीकृति की Online अनुशंसा निगम को प्रेषित करना।	प्रतिवेदन प्राप्ति के दो दिनों के अंदर
5	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा आवेदन का निष्पादन (स्वीकृत/आपत्ति) किया जाना तथा स्वीकृति की स्थिति में स्वीकृति पत्र आवेदक को तथा DRCC को एकरारनामा के लिए प्रेषित करना।	आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अंदर
6	आपत्ति प्राप्त आवेदन का आपत्ति निराकरण कर निगम को वापस उपलब्ध कराना।	15 कार्य दिवस
7	एकरारनामा हस्ताक्षरित होने के उपरांत राज्य स्तर पर गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को इसकी ऑनलाईन प्रति उपलब्ध कराना।	एकरारनामा की तिथि को
8	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा ऋण की राशि निर्गत कराना।	आवेदक द्वारा मांग किए जाने के अधिकतम 10 कार्य दिवस के अंदर

(ix) आवेदन से संबंधित प्रत्येक स्तर पर की गयी कार्रवाई की सूचना आवेदक को SMS / E-mail / Web Portal द्वारा दी जाएगी।

8. **ऋण हेतु अधिकतम राशि :–** इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण अधिकतम चार लाख रूपये तक स्वीकृत की जाएगी। इस ऋण राशि पर moratorium अवधि जो कि पाठ्यक्रम समाप्ति से एक वर्ष तक रहेगी अथवा अब यह ऋण की राशि सभी आवेदकों को ब्याज मुक्त उपलब्ध कराई जाएगी तथा ऐसे सभी आवेदक जो पूर्व से शिक्षा ऋण प्राप्त किये है अथवा ऋण की राशि को वापस कर रहे है, उन्हें शिक्षा ऋण की अधिशेष राशि (ब्याज रहित) वापस करनी है। तद्नुसार विभागीय संकल्प सं०– 617 दिनांक – 28.03.2018 की कंडिका– 8 में परिवर्तन किया गया है।

9. **राशि का हस्तानांतरण** :– शिक्षण शुल्क एवं संस्थान में जमा किये जाने वाले अन्य शुल्क RTGS/NEFT (अथवा विशेष स्थिति में Bank Draft द्वारा) के माध्यम से संस्थान को उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रावास के बाहर रहने की स्थिति में आवेदक को वर्गीकृत शहरों के लिए तय मानक के अनुरूप निर्धारित राशि तथा पाठ्य–पुस्तक एवं पठन–लेखन सामग्री हेतु निर्धारित राशि अनुलग्नक 01 एवं 02 के अनुसार आवेदक के खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।

10. **ऋण राशि की अगली किस्तों का भुगतान :–** आवेदक/सह–आवेदक द्वारा वार्षिक/semester परीक्षा उत्तीर्णता या अग्रणित होने का प्रमाण–पत्र, जो अंक–पत्र अथवा संस्थान द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण–पत्र होगा, को ऑनलाईन संलग्न करते हुए अगली किस्त के भुगतान हेतु DRCC पर आवेदन उपलब्ध कराया जाएगा। नोडल पदाधिकारी के द्वारा संतुष्टि के उपरांत अधिकतम तीन दिनों के अंदर अनुशंसा पत्र उपर्युक्त अंकित अभिलेखों के साथ निगम को उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार, निर्धारित दस कार्य दिवस के अंदर निगम के द्वारा राशि विमुक्त की जाएगी। आवेदक से प्राप्त अंक पत्रक/प्रमाण पत्रों में से आवश्यकतानुसार अथवा न्यूनतम एक प्रतिशत आवेदन का सत्यापन/जाँच TPVA द्वारा कराया जा सकेगा।

11. **ऋण वापसी की प्रक्रिया :–** Moratorium अवधि की समाप्ति के पश्चात् 2 लाख रु तक के ऋण को अधिकतम 60 मासिक किस्तों से बढ़ा कर अधिकतम 84 मासिक किस्तों (7 वर्षों) में तथा 2 लाख से उपर के ऋण को अधिकतम 84 मासिक किस्तों से बढ़ा कर अधिकतम 120 मासिक किस्तों (10 वर्षों) में वापस किया जा सकेगा। तद्नुसार विभागीय संकल्प सं०– 617 दिनांक – 28.03.2018 की कंडिका– 11 में परिवर्तन किया गया है।

 उपरोक्त निर्धारित अवधि में नियोजन नहीं होने या स्वरोजगार एवं अन्य साधनों से आय नहीं होने की स्थिति में ऋण वसूली स्थगित रखी जाएगी, किन्तु इसके लिए प्रत्येक जून एवं दिसम्बर के अंतिम पखवारे में आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र DRCC पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा कि आवेदक नियोजित/स्वरोजगार अथवा अन्य किसी साधनों से आय प्राप्त नहीं कर रहा है।

 यदि आवेदक का पाठयक्रम अवधि अथवा Moratorium अवधि अथवा मासिक किस्त भुगतान की अवधि के दौरान मृत्यु हो गयी है अथवा होती है, तो भुगतान की गयी ऋण की सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित माफ की जाएगी। परन्तु, यदि मृत आवेदक, उसके

सह–आवेदक अथवा अभिभावक द्वारा मूलधन एवं ब्याज की राशि का जो भी किस्त जमा कर दिया गया है, तो उसके अतिरिक्त मात्र अधिशेष राशि को ही माफ किया जायेगा। तद्नुसार विभागीय संकल्प सं०– 617 दिनांक – 28.03.2018 की कंडिका–11 में परिवर्तन किया गया है।

उपरोक्त वर्णित स्थितियों के अलावा सम्पूर्ण निर्धारित अवधि के पश्चात् यदि आवेदक/सह–आवेदक ऋण की वापसी नहीं करते है, तो उनके विरूद्ध PDR Act (Public Demand Recovery Act) के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

12. **राज्य स्तर पर कॉल सेंटर की स्थापना** :– इस योजना के तहत आवेदकों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित है। इसके टॉल फ्री नं० पर विद्यार्थी योजना के प्रावधान एवं आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ–साथ आवेदक अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति से भी अवगत हो सकेंगे। इस योजना के राज्य स्तरीय पदाधिकारी कॉल–सेंटर का नियमित रूप से भ्रमण करेंगे और कॉल–सेंटर में चल रही गतिविधियों की समीक्षा करेंगे।

13. **योजना का प्रचार–प्रसार** :– राज्य सरकार की इस योजना का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना की जानकारी हो और वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके।

14. इस योजना के कार्यान्वयन तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन के संबंध में कालान्तर में राज्य सरकार द्वारा कुछ संशोधन किए जाते हैं अथवा कोई निर्णय लिए जाते है तो उससे ससमय अवगत कराया जाएगा।

15. **योजना के अनुश्रवण की व्यवस्था** :–

(i) राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (State Project Management Unit) एवं वित्त विभाग के अधीन गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम इस योजना के कार्यान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

(ii) निगम जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) से प्राप्त आवेदन के निष्पादन की स्थिति के संबंध में शिक्षा विभाग को MIS का access उपलब्ध कराएगा।

(iii) जिला स्तर पर जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेगा।

(iv) जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला सुशासन के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के द्वारा किया जाएगा। जिला पदाधिकारी अपने जिले के इस योजना के प्रगति की मासिक समीक्षा करेंगे एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रभारी मंत्री–सह–अध्यक्ष, जिला सुशासन के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में रखेंगे। जिला पदाधिकारी प्रत्येक माह

कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन बिहार विकास मिशन की कार्यकारी समिति, शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग को भी प्रेषित करेंगे।

(v) योजना के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले समस्याओं का समाधान शिक्षा विभाग एवं निगम अपने–अपने स्तर से करने में सक्षम होगा।

शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के संबंध में वांछित संशोधन तथा समय–समय पर अनुदेश निर्गत किए जा सकेगे।

16. <u>पूर्व में प्राप्त आवेदन–पत्रों का निष्पादन</u> :–

(i) संशोधित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगी। इससे पूर्व के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के वैसे आवेदन जो बैंक शाखाओं में ऋण स्वीकृति हेतु प्रेषित नहीं किये गए है, उनका भी निष्पादन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से होगा। ऐसे आवेदन–पत्रों की प्राप्ति की तिथि निगम को आवेदन सम्प्रेषण की तिथि मानी जाएगी।

(ii) इसके अलावा पूर्व के वैसे आवेदन जो बैंक शाखाओं में स्वीकृति (sanction) हेतु लम्बित अथवा स्वीकृति के बाद वितरण हेतु लम्बित होगें उन आवेदकों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऋण प्राप्ति की सुविधा का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) वैसे आवेदक जिनके ऋण बैंकों के द्वारा वितरित किए जा चुके है, उन्हें शेष अवधि के लिए निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा, किन्तु उन आवेदकों को ऋण राशि की वापसी के उपरांत बैंक शाखा द्वारा निर्गत no dues certificate उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

अनुलग्नक–'1'

Living Expenses के लिए वर्गीकृत शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों की सूची

क्र० स०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	वर्ग 'क' के शहर	वर्ग 'ख' के शहर	वर्ग 'ग' के शहर/ ग्रामीण क्षेत्र
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	––	––	वर्ग **'क'** एवं '**ख**' में अंकित शहरों के अतिरिक्त अन्य सभी शहर/ ग्रामीण क्षेत्र
2	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	हैदराबाद	विजयवाड़ा, वारंगल,ग्रेटर विशाखापट्टनम, गुंटुर, नेलौर	
3	अरूणाचल प्रदेश	––	––	
4	असम	––	गुवाहाटी	
5	बिहार	––	पटना	
6	चंडीगढ़	––	चंडीगढ़	
7	छत्तीसगढ़	––	दुर्ग–भिलाईनगर, रायपुर	
8	दादर एवं नगर हवेली	––	––	
9	दमन एवं द्वीव	––	––	
10	दिल्ली	दिल्ली	––	
11	गोवा	––	––	
12	गुजरात	अहमदाबाद	राजकोट, जामनगर, भावनगर, बड़ोदरा, सूरत	
13	हरियाणा	––	फरीदाबाद, गुड़गाँव	
14	हिमाचल प्रदेश	––	––	
15	जम्मू एवं कश्मीर	––	श्रीनगर, जम्मू	
16	झारखण्ड	––	जमशेदपुर, धनबाद, राँची, बोकारो स्टील सिटी	
17	कर्नाटक	बंगलोर/ बंगलुरू	बेलगाँम, हुबली–धारवाड़, मंगलोर, मैसूर, गुलबर्ग	
18	केरल	––	कोझीकोड, कोच्चि, तिरूवंतपुरूम, तिरूपुर, मल्लपुरम, कनौर, कोलम	
19	लक्ष्यद्वीप	––	––	
20	मध्य प्रदेश	––	ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन,	
21	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई, पुणे,	अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, भिलवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर,वसई–वीररसिटी, मेलेगाँव, नांडेड–वाघला, संघली	
22	मणिपुर	––	––	
23	मेघालय	––	––	
24	मिजोरम	––	––	
25	नागालैंड	––	––	
26	उड़ीसा	––	कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला	
27	पुडुचेरी	––	पुडुचेरी	
28	पंजाब	––	अमृतसर, जालंधर, लुधियाना	

29	राजस्थान	––	बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर	
30	सिक्किम	––	––	
31	तमिलनाडु	चेन्नई	सलेम, त्रिपुर, कोयमबटुर, तिरूचिरापल्ली, मदुरई, इरोडे	
32	त्रिपुरा	––	––	
33	उत्तर प्रदेश	––	मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी,	
34	उत्तराखण्ड	––	देहरादून	
35	पश्चिमबंगाल	कोलकाता	आसनसोल, सिल्लीगुड़ी, दुर्गापुर	

अनुलग्नक–'2'

रहने, जीवन यापन एवं पाठ्य सामग्री के लिए निर्धारित मानक व्यय

क्र० स०	मद का नाम	निर्धारित दर		
		वर्ग 'क' के शहरों के लिए	वर्ग 'ख' के शहरों के लिए	वर्ग 'ग' के शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
1	मात्र छात्रावास से बाहर किराये पर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष	12 x 5000 p.m = 60,000/- (साठ हजार) वार्षिक	12 x 4000 p.m = 48,000/- (अड़तालीस हजार) वार्षिक	12 x 3000 p.m = 36,000/- (छत्तीस हजार) वार्षिक
2	पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पठन–लेखन सामग्री	रुपये 10,000/– (दस हजार) प्रतिवर्ष		

अनुलग्नक–'3'

योजनान्तर्गत आच्छादित पाठ्यक्रमों की सूची

क्र०सं०	पाठ्यक्रम	क्र०सं०	पाठ्यक्रम
1.	B.A., B.Sc., B.Com. (All subject)	22.	Bachelor of Unani Medicine & Surgery (B.U.M.S)
2.	M.A., M.Sc., M.Com (All subject)	23.	Bachelor of Homeopathic Medicine & Surgery (B.H.M.S.)
3.	Aalim	24.	Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.)
4.	Shashtri	25.	General Nursing Midwifery (G.N.M)
5.	B.C.A.	26.	Bachelor of Physiotherapy
6.	M.C.A.	27.	Bachelor of Occupational Therapy
7.	B.Sc. (Information Technology/Computer Application/Computer Science)	28.	Diploma in Food, Nutrition/ Dietetics
8.	B.Sc. (Agriculture)	29.	Bachelor of Mass Communication/Mass Media/Journalism
9.	B.Sc. (Library Science)	30.	B.Sc. in Fashion Technology/Designing/Apparel Designing/Footwear Designing
10.	Bachelor of Hotel Management & Catering Technology (B.H.M.C.T.)	31.	Bachelor of Architecture
11.	B.Tech/B.E. for laterally admitted candidates having degree of three years diploma courses approved by the State Technical Education Council	32.	Bachelor of Physical Education (B. P. Ed.)
12.	Hotel Management and Catering Technology	33.	M.Sc/M.Tech Integrated course (जिसमें नामांकन की योग्यता +2 समकक्ष है)
13.	Hospital and Hotel Management	34.	Diploma in Food Processing/ Food Production
14.	Diploma in Hotel Management (Three Year) (I.H.M. Course)	35.	Diploma in Food & Beverage Services
15.	Bachelor in Yoga (Entry Level+2Pass)	36.	B.A./B.Sc.-B.Ed. (Integrated Courses)
16.	B.Tech, B.E., B.Sc. (Engineering-all branches)	37.	Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
17.	M.B.B.S.	38.	Master of Business Administration (M.B.A.)
18.	B.Sc. (Nursing)	39.	Bachelor of Fine Arts (B.F.A.)
19.	Bachelor of Pharmacy	40.	BL/LLB (5 Year integrated Course)
20.	Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (B.V.M.S.)	41.	Degree/Diploma in Aeronautical, Pilot Training, Shipping
21.	Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery (B.A.M.S)	42.	Polytechnic

Application_Form_Updated

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

निबंधन संख्या

BIHAR STATE EDUCATION FINANCE CORPORATION LTD.

BIHAR STUDENT CREDIT CARD SCHEME

बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना

APPLICATION CUM APPRAISAL FORM FOR EDUCATION LOAN

शैक्षणिक ऋण हेतु आवेदन–सह–मूल्यांकन प्रपत्र

(PLEASE COMPLETE ALL PARTICULARS IN BLOCK LETTERS AND TICK (√) BOXES (WHEREVER APPLICABLE) कृपया बड़े अक्षरों में पूर्ण विवरणी दें तथा बॉक्स में सही का चिन्ह (√) लगायें (जहाँ मान्य हो)	Signed photograph of Student विद्यार्थी का हस्ताक्षरित फोटो
CIF No. (FOR OFFICE USE) CIF No. (कार्यालय व्यवहार हेतु)	
ACCOUNT No. (FOR OFFICE USE) खाता संख्या (कार्यालय व्यवहार हेतु)	

Signed photograph of Co-Applicant

सह–आवेदक का हस्ताक्षरित फोटो

(I) PERSONAL INFORMATION OF THE APPLICANTS
आवेदक/सह–आवेदक की पूर्ण जानकारी

	First Name प्रथम भाग	Middle Name मध्य भाग	Last Name अंतिम भाग
Full Name of the Student विद्यार्थी का पूरा नाम			
Full Name of Father पिता का पूरा नाम			
Full Name of Mother माता का पूरा नाम			
Full Name of Husband (If Applicable) पति का पूरा नाम (यदि लागू हो)			
Full Name of Co-applicant सह–आवेदक का पूरा नाम			
Relationship of co-applicant with Applicant आवेदक के साथ सह–आवेदक का संबंध			

Address पता	Applicant आवेदक	Co-applicant सह–आवेदक
1. Address of Correspondence (House No. Road Name, Locality, City, Pin, District, State etc.) पत्राचार का पता (आवास सं०, सड़क सं०, मुहल्ला, शहर, पिन, जिला, राज्य इत्यादि)		
2. Permanent Address (House No. Road Name, Locality, City, Pin, District, State etc.) स्थायी पता का पूर्ण विवरण (आवास सं०, सड़क सं०, मुहल्ला, शहर, पिन, जिला, राज्य इत्यादि)		
3. E-mail address ई–मेल आई० डी०		
4. Date of birth (DD/MM/YYYY) जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)		

5. Age (as on Date of Application) उम्र (आवेदन की तिथि को)	☐ Years ☐ Months	☐ Years ☐ Months
6. Telephone Number (दूरभाष संख्या)	Mobile (मो०)	Mobile (मो०)
	Residence (आवास)	Residence (आवास)
7. Telephone Number & Fax (Office) दूरभाष संख्या एवं फैक्स (कार्यालय संस्थान जहाँ आवेदक नामांकित हो	Institute (संस्थान)	Office (कार्यालय)
		Fax (फैक्स)
8. Sex लिंग	☐ M ☐ F ☐ T	☐ M ☐ F ☐ T
9. Marital Status वैवाहिक स्थिति	☐ Single ☐ Married	☐ Single ☐ Married
10. Type of identification Proof and Residential proof पहचान का प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र ❖ At least one document is required for identity and one document for address proof. (व्यक्तिगत पहचान हेतु एक अभिलेख एवं पता के पहचान हेतु एक अभिलेख आवश्यक होगा।)	(a) ☐ Aadhar Card (आधार कार्ड) (b) ☐ Residence Certificate (आवासीय प्रमाण पत्र) (c) ☐ Voter ID (वोटर आई०डी०) (d) ☐ First page of bank passbook (बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ) (e) ☐ Other (अन्य)	(a) ☐ Aadhar Card (आधार कार्ड) (b) ☐ Residence Certificate (आवासीय प्रमाण पत्र) (c) ☐ Voter ID (वोटर आई०डी०) (d) ☐ First page of Bank passbook (बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ) (e) ☐ Other (अन्य)
11. Category कोटि	☐ SC अनु. जाति ☐ BC-II पिछड़ी जाति ☐ ST अनु. जनजाति ☐ BC-I अत्यंत पिछड़ी जाति ☐ General सामान्य	☐ SC अनु. जाति ☐ BC-II पिछड़ी जाति ☐ ST अनु. जनजाति ☐ BC-I अत्यंत पिछड़ी जाति ☐ General सामान्य
12. Do you belong to minority क्या आप अल्पसंख्यक कोटि से संबंधित है?	Yes/ No हाँ / नहीं ☐	Yes/ No हाँ / नहीं ☐
13. Required Minimum Education qualification for applied course आवेदित पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम वांक्षित शैक्षणिक योग्यता	10^{th} or 12^{th} ☐ 10वीं या 12वीं From Bihar बिहार से Yes/ No ☐ हाँ / नहीं	In case of outside Bihar बिहार से बाहर की स्थिति में ☐ State राज्य
14. Highest educational qualification उच्चतम शैक्षणिक योग्यता		
15. Do you belong to disable क्या आप दिव्यांग है	Yes/ No हाँ / नहीं ☐	

(II) DETAILS OF THE COURSE
पाठ्यक्रम की जानकारी

1. Name of the Course पाठ्यक्रम का नाम	
2. Name of the College/Institution महाविद्यालय / संस्थान का नाम	
3. Name of the University to which it is affiliated विश्वविद्यालय का नाम जिससे संस्थान संबद्ध हैं	
4. Duration of course (Years) पाठ्यक्रम अवधि	

5. Date of Commencement of course पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने की तिथि	
6. Address of the College/Institution महाविद्यालय/संस्थान का पूरा पता	
7. Roll no. of applicant in institution आवेदक का शैक्षणिक संस्थान में क्रमांक	

(III) LOAN REQUEST SECTION
ऋण आग्रह प्रभाग

1. Cost of the course and other fees (including hostel charges) पाठ्यक्रम शुल्क एवं अन्य शुल्क (हॉस्टल शुल्क के साथ)	
2. Books and stationary (As per Annexure – 2 of the guideline) पठन–लेखन सामग्री (मार्गदर्शिका की अनुलग्नक – 2 के अनुसार)	
3. Living expenses (As per Annexure 2 of the guideline) if hostel is not available. रहने, जीवन–यापन (मार्गदर्शिका की अनुलग्नक – 2 के अनुसार) हॉस्टल अनुपलब्धता की स्थिति में।	
4. Others अन्य	
A. Total कुल	
B. Funds available from other sources (scholarship etc.) अन्य स्रोतों से उपलब्ध निधि (छात्रवृति इत्यादि)	
C. Total amount of loan applied for (A-B) ऋण हेतु कुल आवेदित राशि	

(IV) BANK ACCOUNT DETAILS OF APPLICANT AND CO-APPLICANT
आवेदक एवं सह–आवेदक के बैंक खाता की विवरणी

	Applicant (आवेदक)	Co-applicant (सह–आवेदक)
Name of the Bank (बैंक का नाम)		
Name of the Branch (बैंक शाखा का नाम)		
Bank Account No. (बैंक खाता संख्या)		
IFSC Code (आई०एफ०एस०सी० कोड)		

(V) PROPOSED/PREFERRED REPAYMENT AND PAYMENT OF INTEREST
ऋण अदायगी एवं ब्याज का भुगतान

Mode of Repayment (No. of installment/EMIs) ऋण अदायगी का तरीका (किस्त की संख्या)		☐	
Repayment by अदाकर्त्ता	☐ By Student/Applicant छात्र/आवेदक के द्वारा	☐ By Co-applicant सह–आवेदक के द्वारा	☐ By Both दोनों के द्वारा

(VI) DOCUMENTS REQUIRED

☐	Mark sheet & Certificate of Class X, XII & last qualifying examination of the student. मैट्रिक, +2 एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
☐	Copies of letter conferring scholarship, free education etc. (if applicable) प्राप्त छात्रवृति, निःशुल्क शिक्षा का पत्र इत्यादि। (यदि लागू हो)
☐	Documents evidencing duration of course of commencement thereof, viz Prospectus or Certificate from the competent authority of the Institution. (if the University situated inside Bihar then not required) पाठ्यक्रम अवधि के सत्यापन हेतु संस्थान के सक्षम प्राधिकार से प्राप्त पाठ्यक्रम विवरणिका अथवा प्रमाण पत्र। (बिहार के अंदर अवस्थित महाविद्यालय में इसकी आवश्यकता नहीं।)
☐	Proof of admission to the course. पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रमाण पत्र।

☐	Schedule of expenses for the course. पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी अनुसूची।
☐	Two copies of Passport size photograph of the student and co-applicant. छात्र एवं सह–आवेदक का दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
☐	Aadhar card of applicant. आवेदक का आधार कार्ड।
☐	Aadhar card of co-applicant. सह–आवेदक का आधार कार्ड।
☐	Proof of residence (Residential certificate or first page of bank passbook in which address is clearly mentioned or electricity Bill or telephone Bill or passport or Driving license or voter I.D. card निवास प्रमाण पत्र (आवासीय प्रमाण पत्र अथवा बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो अथवा बिजली बिल अथवा टेलिफोन बिल अथवा पासपोर्ट अथवा ड्राईविंग लाईसेंस अथवा वोटर आई०डी० कार्ड अथवा मतदान हेतु प्रयुक्त प्रमाण पत्रों में से कोई एक)।
☐	Certificate for disability issued from competent authority. (if applicable) सक्षम प्राधिकार से निर्गत दिव्यांगता का प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो)

DECLARATION
घोषणा

I/We hereby apply for a loan from Bihar State Education Finance Corporation Ltd. to the extent indicated in the Loan Request Section of this application form. I/We declare that the information furnished in this application form are true, accurate and complete and that they shall form the basis of any loan, Bihar State Education Finance Corporation Ltd. may decide to sanction to me/us. I/We confirm that I/We have/had neither insolvency proceeding against me/us nor have been adjudicated insolvent. I/We further confirm that I/We have read the terms and conditions and understood the contents therein. I/We am/are aware that as I/we have opted for loan interest free, the equated monthly installment fixed shall comprise of principal only.

मैं/हम ऋण हेतु ऋण आग्रह प्रभाग में उल्लेखित राशि की अधिसीमा तक बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड में अपना आवेदन समर्पित करता हूँ/है। मैं/हम घोषणा करते हैं कि आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही, सटीक एवं पूर्ण हैं एवं बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा मेरे/हमारे प्रमाण पत्र में कोई ऋण स्वीकृत किये जाने का निर्णय का आधार गठित करेंगे। मैं/हम संपुष्ट करता/करते हूँ/हैं कि मेरे/हमारे विरूद्ध दिवालियापन का मामला लंबित नहीं है एवं न ही मुझे/हमे सक्षम प्राधिकार द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है। मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैने/हमने इसमें तथ्यों एवं शर्त्तों तथा योजना की मार्गदर्शिका का पूर्ण अध्ययन किया है तथा उन्हें सही तरीके से समझा है। मैं/हम इस बात से अवगत हूँ/है कि यदि मैं/हम बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित किस्त का घटक केवल मूलधन होगा।

I/We agree that Bihar State Education Finance Corporation Ltd. may at its discretion conduct discreet inquires in respect of this application. I/we undertake to inform as to any change in my/our occupation/employment, residential/official address and to provide any further information that District Registration and Counseling Center and Bihar State Education Finance Corporation Ltd. may require. Bihar State Education Finance Corporation Ltd. will be at liberty to take such action as it may deem necessary if my/our above statements are found to be untrue. I/We agree that Bihar State Education Finance Corporation Ltd. shall have the sole discretion to reject our loan application or reduce loan amount without any reason. I/We further agree that my/our loan transactions shall be governed by the rules of Bihar State Education Finance Corporation Ltd. which may be in force from time to time.

मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड अपने विवेकाधिकार के आधार पर आवेदन में वर्णित तथ्यों की विवेकपूर्ण जाँच कराने में सक्षम है। मैं/हम वचन देते हैं कि मेरे/हमारे रोजगार/नियोजन, आवासीय पता में परिवर्तन की स्थिति में मैं/हम जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र तथा बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को सूचित करेंगे अथवा बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा याचित कोई अन्य सूचना प्रमाण पत्र या कागजात भी उपलब्ध कराएंगे। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड प्रस्तुत कथनों की असत्यता की स्थिति में बिना कारण बताए ऋण राशि को रद्द अथवा कम करने हेतु स्वतंत्र होगा। मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि ऋण राशि का लेन–देन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के समय–समय पर लागू नियमों के आधार पर होगा। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के पास आवेदन की अस्वीकृति का अधिकार सुरक्षित होगा।

Signature of the student/applicant

Place

Date

विद्यार्थी/आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :

तिथि :

Signature of the Co-applicant

Place

Date

सह–आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :

तिथि :

आवेदक की घोषणा

1. मैं अपना आधार संख्या समर्पित करता/करती हूँ एवं स्वेच्छापूर्वक सहमति देता/देती हूँ कि यू०आई०डी०ए०आई० भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार/यू०आई०डी० संख्या को मेरे नाम से संधारित आवेदन के साथ जोड़ा जाय।
2. इसे एन०पी०सी०आई० (National Payment Corporation of India) में दर्ज किया जाए, ताकि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी०बी०टी०) योजना के तहत लाभ मेरे उक्त बैंक खाता में प्राप्त हो सके।
3. यू०आई०डी०ए०आई० द्वारा प्रदत्त आधार संख्या को मेरी पहचान को प्रमाणित एवं स्थापित करने में उपयोग किया जाय।
4. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु आवेदन समर्पित करने के दिन मेरी आयु 25 वर्ष (कुछ मान्य कोर्स के लिए 30 वर्ष) से अधिक नहीं है।
5. मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का उपयोग नामित बाह्य जाँच एजेंसी (TPVA) द्वारा सत्यापन हेतु किया जा सकेगा।
6. मेरे द्वारा आवेदन में अंकित मोबाईल संख्या को एस०एम०एस० अलर्ट हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।
7. मेरे द्वारा इस योजना की मार्गदर्शिका एवं समय–समय पर निर्गत संशोधनों का अध्ययन कर लिया गया है।
8. मैं सहमति देता/देती हूँ कि आधार संख्या के बारे में मेरे द्वारा जो उपर्युक्त सूचना उपलब्ध करायी गयी है, उसे उपर्युक्त कार्य या कानूनी जरूरतों के अतिरिक्त अन्यथा उपयोग में नहीं लाया जायगा।

स्थान :–

तिथि :– आवेदक का हस्ताक्षर

महत्त्वपूर्ण अनुदेश

ऑनलाइन आवेदन जमा करने के पश्चात् आवेदन में दी गई सूचना के सत्यापनणोपरांत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आने की तिथि एवं समय E-Mail तथा SMS द्वारा सूचित की जाएगी। बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु इच्छुक युवाओं को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन जमा करते समय अपने स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों की मूल–प्रति (मूल–प्रति scan करने के उपरांत तत्काल वापस कर दिया जायेगा) एवं स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी –

(क) आवेदक एवं सह–आवेदक का आधार कार्ड।
(ख) मैट्रिक +2 एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
(ग) प्राप्त छात्रवृति, निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रमाण–पत्र इत्यादि (यदि लागू हो)।
(घ) पाठ्यक्रम अवधि के सत्यापन हेतु संस्थान के समक्ष प्राधिकार से प्राप्त पाठ्यक्रम विवरणिका अथवा प्रमाण पत्र (बिहार के अंदर अवस्थित महाविद्यालय में इसकी आवश्यकता नहीं है)।
(ड़) पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रमाण पत्र।
(च) पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी अनुसूची।
(छ) छात्र/माता–पिता/अभिभावक/सह–आवेदक का दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
(ज) निवास प्रमाण पत्र (आवासीय प्रमाण पत्र अथवा बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो अथवा बिजली बिल अथवा टेलिफोन बिल अथवा पासपोर्ट अथवा ड्राईविंग लाईसेंस अथवा वोटर आई०डी० कार्ड अथवा मतदान हेतु प्रयुक्त प्रमाण पत्रों में से कोई एक)।
(झ) किसी अनुसूचित बैंक में आवेदक के नाम से संधारित बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, बैंक खाता संख्या तथा संबंधित बैंक शाखा का IFSC कोड स्पष्टतः अंकित हो।

प्राप्ति रसीद

जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र

श्री/श्रीमती/सुश्री से बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु दिनांक

को सभी वांछित अनुलग्नकों सहित आवेदन पत्र प्राप्त किया। जिसका निबंधन संख्या है।

प्राप्तकर्त्ता का पूर्ण हस्ताक्षर –

नाम –

पदनाम–

नोट – Online आवेदन करने के 180 दिनों के अंदर किसी भी कार्य दिवस पर जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) पहुँच कर प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है। सत्यापन नहीं कराए जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा।

Guideline_1462

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संकल्प

संख्या 15/एम 1–57/2016 (अंश)–1462 पटना, दिनांक 05/7/2019

विषय :– बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार सुशासन कार्यक्रम 2015–20 के अंतर्गत विकसित बिहार के 7 निश्चय में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 02 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ है। विभागीय संकल्प संख्या–617, दिनांक–28.03.2018 के माध्यम से इस योजना के विभिन्न प्रावधानों में परिवर्तन किया गया।

2. राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित आवेदकों के द्वारा माँग किये जाने की स्थिति में चार लाख रूपये की अधिसीमा के अन्तर्गत अधिकतम रू0 35,000/– (पैंतीस हजार) रूपये तक मात्र एक बार Laptop क्रय करने के लिए ऋण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा यह राशि आवेदकों के खाते में उपलब्ध करायी जाएगी। तदनुसार इस योजना की मार्गदर्शिका के अनुलग्नक–2 में वांछित परिवर्तन किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार तकनीकी पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

3. पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–617 दिनांक–28.03.2018 के कंडिका 03(1) में बिहार राज्य के बाहर के संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है

"राज्य के बाहर के सक्षम प्राधिकार से मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी अथवा निजी शिक्षण संस्थानों में नामांकित या नामांकन हेतु चयनित मात्र वैसे अर्हत्ता प्राप्त आवेदकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा, जिनके संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) के द्वारा न्यूनतम Grade 'A' प्राप्त है अथवा संस्थान में संचालित कार्यक्रमों का National Board of Accreditation (NBA) के द्वारा Accreditation प्राप्त है अथवा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत

सरकार द्वारा निर्गत NIRF (National Institutional Ranking Framework) की रैंकिंग प्राप्त है।"

4. उपर्युक्त परिवर्तन संकल्प निर्गत की तिथि से मान्य होंगे।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जन साधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

05/7/19

(गिरिवर दयाल सिंह)
सरकार के अपर सचिव

संख्या 15/एम 1–57/2016 (अंश) –1462 पटना, दिनांक 05/7/2019

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को राजकीय गजट में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

05/7/19

(गिरिवर दयाल सिंह)
सरकार के अपर सचिव

संख्या 15/एम 1–57/2016 (अंश) –1462 पटना, दिनांक 05/7/ 2019

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/7/19

(गिरिवर दयाल सिंह)
सरकार के अपर सचिव

संख्या 15/एम 1–57/2016 (अंश) –1462 पटना, दिनांक 05/7 2019

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद्/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि०, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी

आरक्षी अधीक्षक/ सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/कुलसचिव, राज्य एवं राज्य के बाहर के सभी विश्वविद्यालय एवं संबंधित संस्थान प्रमुख, राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/7/19

(गिरिवर दयाल सिंह)
सरकार के अपर सचिव

संख्या 15/एम 1–57/2016 (अंश)–1462 पटना, दिनांक 05/7 2019

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय प्रोग्राम मैनेजर, 3 आई० इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई/प्रबंध निदेशक, Peregrine Guarding Pvt. Ltd. (TPVA), Gurugram, Hariyana/प्रबंधक, Whitelions Pvt. Ltd. (Toll Free No.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विभागीय आई० टी० मैनेजर को संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड किया जाए।

05/7/19

(गिरिवर दयाल सिंह)
सरकार के अपर सचिव

Guideline_617

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संकल्प

संख्या – 15/पी 5–09/2015(अंश)/Part-II- पटना, दिनांक :

विषय :– बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की संशोधित मार्गदर्शिका लागू करने के संबंध में।

वर्तमान में राज्य का उच्च शिक्षा में GROSS ENROLMENT RATIO (GER) 14.3 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात लगभग 24 प्रतिशत है। राज्य सरकार का ध्येय है कि बिहार का GER राष्ट्रीय औसत के बराबर करते हुए 30% तक की वृद्धि करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जायें एवं राज्य को विकसित राज्यों की अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया जाए। अतः आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अन्तर्गत विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। किन्तु इस योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अनुभवों के कारण बैंकों की भूमिका को सीमित करते हुए संशोधित 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के द्वारा उच्च शिक्षा में GER की वृद्धि के साथ–साथ युवाओं के रोजगार की प्राप्ति में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

2. **लक्ष्य :–**

इस योजना का लक्ष्य आवश्यकता के अनुसार लचीला होगा। जितने पात्र विद्यार्थी इस योजना के लाभ हेतु इच्छुक होंगे, उतने विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 में 50,000, वित्तीय वर्ष 2019–20 में 75,000 एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में 1,00,000 अनुमानित विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने का प्रारंभिक अनुमान है।

3. **योजना के लिए पात्रता :–**

इस योजना के तहत बिहार राज्य के निवासी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार राज्य एवं सीमावर्त्ती राज्यों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु ऋण के लिए इच्छुक हों, उन्हें बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य है कि –

(i) विद्यार्थी द्वारा बिहार एवं अन्य राज्य या केन्द्र सरकार के संबंधित नियामक एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया गया हो या नामांकन के लिए चयनित हो।

(ii) यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों, विभिन्न व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए दी जा सकेगी। पाठ्यक्रम की सूची अनुलग्नक–3 में अंकित है, जिसमें समय–समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन कर नए पाठ्यक्रमों को शामिल या विलोपित किया जा सकेगा।

(iii) इस योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 12वीं अथवा समतुल्य (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा बिहार राज्य के सीमावर्ती जिलों के सीमावर्ती प्रखंडों के सीमावर्ती राज्य यथा झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं प० बंगाल के विद्यालय या बोर्ड से 10वीं/12वीं/+2 (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) उत्तीर्ण बिहार राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा।

(iv) आवेदक विद्यार्थियों के हॉस्टल में रहने की स्थिति में आवेदक के शैक्षणिक संस्थान को राशि उपलब्ध करायी जाएगी। शिक्षण संस्थान के हॉस्टल में नहीं रहने की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए फीस के अतिरिक्त अन्य रहने के खर्च (living expenses) के लिए अनुलग्नक–'1' के अनुसार वर्गीकृत शहरों के लिए निर्धारित किये गए मानक का विवरण अनुलग्नक–'2' की निर्धारित दर पर आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। महँगाई के आधार पर रहने एवं जीवन–यापन के दर में आवश्यकतानुसार शिक्षा विभाग द्वारा वृद्धि की जा सकेगी।

(v) इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर के वैसे निर्धारित पाठ्यक्रम जिनमें नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है, के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होगी।

(vi) यदि आवेदक के पास एक स्तर की उपाधि परिलब्ध है, तो उसी स्तर की उपाधि के लिए इस योजनान्तर्गत आच्छादन नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान तकनीकी अथवा प्रबंधकीय पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। उदाहरणस्वरूप विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त व्यक्ति को पुनः कला, विज्ञान के किसी अन्य संकाय में अथवा वाणिज्य में स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। परंतु विज्ञान, कला अथवा वाणिज्य में स्नातक योग्यताधारी आवेदक को एम०बी०ए०, एम०सी०ए० इत्यादि करने के लिए योजनान्तर्गत आच्छादन की पात्रता रहेगी।

(vii) लाभार्थियों के द्वारा पढ़ाई को किसी भी कारण से बीच में छोड़ने पर ऋण की शेष राशि संस्थान या विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं करायी जाएगी अर्थात इस योजना के तहत विद्यार्थी को शिक्षा ऋण की अगली किस्त उनके संबंधित संस्थान/पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रहने की स्थिति में ही उपलब्ध कराई जा सकेगी।

4. **आवेदन की प्रक्रिया** :–

(i) इस योजना का लाभ लेने हेतु Online आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। कोई भी इच्छुक विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) उत्तीर्ण हो तथा इस योजना के लिए पात्रता रखता हो, वह Online Portal अथवा Mobile App के माध्यम से अपना आवेदन Online समर्पित कर सकता है।

(ii) सर्वप्रथम आवेदक द्वारा पोर्टल/Mobile App में सामान्य वांछित सूचनाएँ दर्ज की जाएगी, जिसे submit करने पर One Time Password उनके मोबाईल नंबर एवं ई–मेल पर प्राप्त होगा।

(iii) इस One Time Password को पोर्टल में डालने पर आवेदक को व्यक्तिगत विवरणी संबंधी प्रपत्र उपलब्ध होगा। इसमें आवश्यक सूचना दर्ज कर submit करने पर एक Web page खुलेगा, जिसमें उपलब्ध 'बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना' का ऑनलाईन प्रपत्र चयन कर उसमें वांछित सूचनाएँ दर्ज करनी होगी।

(iv) Online आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदक को इसकी प्राप्ति यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल नं० एवं ई–मेल पर क्रमशः मैसेज एवं मेल द्वारा भेज दी जाएगी।

(v) आवेदन के साथ किसी भी प्रकार का कागजात Online संलग्न नहीं किया जाना है। Online आवेदन समर्पित करने के साथ ही आवेदन प्रपत्र की एक PDF प्रति सृजित होगी, जिसमें काउण्टर पर आने के समय वांछित आवश्यक कागजातों का भी उल्लेख होगा।

(vi) जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र द्वारा आवेदक को केन्द्र पर आने हेतु तिथि एवं समय की सूचना email एवं SMS द्वारा भेजी जाएगी। यद्यपि आवेदक अपनी सुविधानुसार भी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन–पत्र की हार्ड प्रति समर्पित कर सकते है।

(vii) निर्धारित तिथि को अर्हता प्राप्त आवेदक अपने जिले के जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन–पत्र के अनुरूप वांछित सूचना एवं शिक्षा ऋण के लिए वांछित कागजात के साथ अपना आवेदन जमा करेंगे।

(viii) आवेदन की PDF प्रति पर स्व–हस्ताक्षर के उपरान्त अपना एवं सह–आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर एवं वांछित कागजातों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित संसूचित तिथि/ऐच्छिक तिथि को केन्द्र पर आयेंगे। उन्हें वांछित सभी कागजातों की मूल प्रति भी साथ में रखनी होगी।

(ix) आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के प्रवेश द्वार पर एक टोकन नम्बर दिया जाएगा, जिसके आधार पर केन्द्र के हॉल में आवेदक की प्रविष्टि होगी। आवेदक केन्द्र में प्रवेश कर प्रतीक्षा हॉल में अपने नम्बर आने की प्रतीक्षा करेंगे। आवेदक को उपलब्ध कराये गए टोकन नं० का प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बोर्ड पर किया जाएगा।

(x) आवेदक अपना क्रमांक आने पर सारे मूल प्रमाण–पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की स्वभिप्रमाणित प्रति एवं आवेदन–पत्र के PDF की हस्ताक्षरित प्रति के साथ निर्धारित काउंटर पर जायेंगे, जहाँ आवेदक के आधार का प्रमाणीकरण किया जाएगा।

(xi) मूल प्रमाण पत्र scanning के पश्चात् आवेदक को वापस कर दिए जायेंगे तथा स्व–हस्ताक्षरित आवेदन एवं अन्य कागजातों की छायाप्रति को काउंटर पर जमा कर लिया जाएगा।

(xii) कागजातों के सत्यापन के उपरांत उन्हें काउंटर से एक प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी।

(xiii) आवेदन में किसी भी प्रकार के गलत प्रविष्टि का संशोधन उसी समय Multi Purpose Assistant (MPA) द्वारा किया जा सकेगा।

5. **आवश्यक कागजात** :–

बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु इच्छुक आवेदकों को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन जमा करते समय अपने स्वहस्ताक्षरित आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों के छायाप्रति की स्वभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी :–

(i) आवेदक एवं सह–आवेदक का आधार कार्ड।

(ii) मैट्रिक, +2 (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंक–पत्र एवं प्रमाण–पत्र।

(iii) प्राप्त छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रमाण–पत्र इत्यादि (यदि लागू हो)।

(iv) आवेदक के बैंक पासबुक की छाया प्रति, जिसमें शाखा का नाम, खाता सं० एवं IFSC कोड अंकित हो।

(v) संस्थान में नामांकन का प्रमाण–पत्र जिसमें पाठ्यक्रम अवधि अंकित हो (अथवा बिहार राज्य से बाहर के संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका)।

(vi) संस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी।

(vii) आवेदक एवं सह–आवेदक यथा – माता/पिता/पति/अभिभावक (रक्त संबंधी) का दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।

(viii) आवासीय प्रमाण पत्र अथवा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो अथवा बिजली बिल अथवा टेलिफोन बिल अथवा पासपोर्ट अथवा ड्राईविंग लाईसेंस अथवा वोटर आई०डी० कार्ड अथवा मतदान हेतु प्रयुक्त प्रमाण पत्रों में से कोई एक।

6. सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के प्रवेश द्वार के समीप स्थापित 'May I Help You' काउंटर पर आवेदक को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा उनकी सामान्य पृच्छा का समाधान किया जाएगा। आवेदक अपनी पृच्छा का समाधान मुख्यालय स्तर पर स्थापित Call Centre से भी कर सकते हैं।

7. <u>आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया</u> :–

(i) आवेदक द्वारा ऑन–लाईन आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदन की PDF प्रति एवं वांछित कागजातों/प्रमाण पत्र जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर Multi Purpose Assistant (MPA) को उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) काउन्टर पर MPA द्वारा जाँचोपरांत प्राप्त आवेदन पत्र की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति सहायक प्रबंधक को उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक प्रबंधक के द्वारा आवेदक के सम्पूर्ण अर्हत्ता एवं कागजातों के उपलब्धता की सुनिश्चितता के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर आवेदन जाँच/सत्यापन हेतु Third Party Verification Agency (TPVA) को ऑन–लाईन अंतरित की जाएगी।

(iii) TPVA से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित बिन्दुओं के आधार पर नोडल पदाधिकारी द्वारा दो दिनों में ऋण की स्वीकृति की अनुशंसा करते हुए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को ऑन–लाईन प्रेषित की जाएगी। सॉफ्ट कॉपी बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को ऑन–लाईन हस्तांतरित करने के उपरांत आवेदन की हार्ड कॉपी निगम के जिला स्तरीय कोषांग को हस्तांतरित की जाएगी जहाँ निगम के प्राधिकृत पदाधिकारी उसे भविष्य के संदर्भ हेतु संधारित करेंगे। आवेदन की सॉफ्ट कॉपी के विधिवत् संधारण के संदर्भ में विस्तृत निदेश बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा निर्गत किया जाएगा।

(iv) जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र दिनांक–01.04.2018 से आवेदन निगम को भेजना प्रारंभ कर देगा। दिनांक–31.03.2018 तक जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में लंबित मामलों को भी निगम को प्रेषित किया जाएगा, जिसका निष्पादन निगम के द्वारा किया जाएगा। दिनांक–01.07.2018 से आवेदनों का निष्पादन निगम के द्वारा 15 कार्य दिवस की समय–सीमा में किया जाएगा।

(v) निगम द्वारा आवेदन को स्वीकृत करने में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर उन आपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए आवेदन नोडल पदाधिकारी को वापस किया जाएगा। ऐसे आवेदनों को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र द्वारा अधिकतम 15 कार्य दिवस में यथा स्थिति निराकरण कर निगम को वापस उपलब्ध कराया जाएगा। आपत्तियों का निराकरण संभव नहीं होने की स्थिति में नोडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा निर्गत किया जाएगा।

(vi) ऋण स्वीकृति के उपरांत आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

(vii) बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा आवेदन की स्वीकृति किए जाने के उपरांत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर उपस्थित होने हेतु आवेदक को सूचना निगम के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा SMS तथा e-mail से दी जाएगी। सूचना में उपस्थित होने की निर्धारित तिथि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। निर्धारित तिथि को आवेदक के उपस्थित होने पर ऋण के Documentation से संबंधित कार्य का निष्पादन किया जाएगा। Documentation के उपरांत निगम

के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा इसकी सूचना निगम के मुख्यालय को दी जाएगी, जहाँ से राशि आवेदक द्वारा याचित शैक्षणिक संस्थान और/अथवा आवेदक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

(viii) इस योजना के सभी स्तर पर सेवाओं के निष्पादन हेतु अधिकतम समयावधि निम्न प्रकार होगी –

क्र० सं०	गतिविधि	अधिकतम समय
1	आवेदक के काउण्टर पर उपस्थित होने के उपरांत उसके आवेदन–पत्र की MPA द्वारा प्रारंभिक जाँच, वांछित कागजातों की uploading तथा प्राप्त आवेदन को Online एवं Offline चिन्हित सहायक प्रबंधक को उपलब्ध कराना।	15 मिनट
2	चिन्हित सहायक प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन की जाँच कर उसे अपनी अनुशंसा के साथ विभागीय नामित पदाधिकारी से सहमति प्राप्त कर सत्यापन हेतु TPVA को ऑनलाईन अंतरित करना एवं हार्ड कॉपी को अपने पास संधारित रखना।	15 मिनट
3	शिक्षा विभाग द्वारा चयनित सत्यापन एजेंसी (TPVA) के द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर प्रतिवदेन उपलब्ध कराना।	आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अंदर
4	TPVA से प्राप्त प्रतिवेदन के उपरांत नोडल पदाधिकारी द्वारा ऋण की स्वीकृति की Online अनुशंसा निगम को प्रेषित करना।	प्रतिवेदन प्राप्ति के दो दिनों के अंदर
5	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा आवेदन का निष्पादन (स्वीकृत/आपत्ति) किया जाना तथा स्वीकृति की स्थिति में स्वीकृति पत्र आवेदक को तथा DRCC को एकरारनामा के लिए प्रेषित करना।	आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अंदर
6	आपत्ति प्राप्त आवेदन का आपत्ति निराकरण कर निगम को वापस उपलब्ध कराना।	15 कार्य दिवस
7	एकरारनामा हस्ताक्षरित होने के उपरांत राज्य स्तर पर गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को इसकी ऑनलाईन प्रति उपलब्ध कराना।	एकरारनामा की तिथि को
8	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा ऋण की राशि निर्गत कराना।	आवेदक द्वारा मांग किए जाने के अधिकतम 10 कार्य दिवस के अंदर

(ix) आवेदन से संबंधित प्रत्येक स्तर पर की गयी कार्रवाई की सूचना आवेदक को SMS / E-mail / Web Portal द्वारा दी जाएगी।

8. **ऋण हेतु अधिकतम राशि** :– इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण अधिकतम चार लाख रूपये तक स्वीकृत की जाएगी। इस ऋण राशि पर moratorium अवधि जो कि पाठ्यक्रम समाप्ति से एक वर्ष तक अथवा आवेदक के नियोजित होने के अधिकतम 6 माह (जो सबसे पहले हो) तक ब्याज की राशि देय नहीं होगी। इस ऋण राशि पर सरल ब्याज (simple interest) की दर 4 प्रतिशत होगी। इसके अंतर्गत महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेन्डर आवेदकों को मात्र 1 प्रतिशत सरल ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

9. **राशि का हस्तांतरण** :– शिक्षण शुल्क एवं संस्थान में जमा किये जाने वाले अन्य शुल्क RTGS/NEFT (अथवा विशेष स्थिति में Bank Draft द्वारा) के माध्यम से संस्थान को उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रावास के बाहर रहने की स्थिति में आवेदक को वर्गीकृत शहरों के लिए तय मानक के अनुरूप निर्धारित राशि तथा पाठ्य–पुस्तक एवं पठन–लेखन सामग्री हेतु निर्धारित राशि अनुलग्न 01 एवं 02 के अनुसार आवेदक के खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।

10. **ऋण राशि की अगली किस्तों का भुगतान** :– आवेदक/सह–आवेदक द्वारा वार्षिक/semester परीक्षा उत्तीर्णता या अग्रणित होने का प्रमाण–पत्र, जो अंक–पत्र अथवा संस्थान द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण–पत्र होगा, को ऑनलाईन संलग्न करते हुए अगली किस्त के भुगतान हेतु DRCC पर आवेदन उपलब्ध कराया जाएगा। नोडल पदाधिकारी के द्वारा संतुष्टि के उपरांत अधिकतम तीन दिनों के अंदर अनुशंसा पत्र उपर्युक्त अंकित अभिलेखों के साथ निगम को उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार, निर्धारित दस कार्य दिवस के अंदर निगम के द्वारा राशि विमुक्त की जाएगी। आवेदक से प्राप्त अंक पत्रक/प्रमाण पत्रों में से आवश्यकतानुसार अथवा न्यूनतम एक प्रतिशत आवेदन का सत्यापन/जाँच TPVA द्वारा कराया जा सकेगा।

11. **ऋण वापसी की प्रक्रिया** :– Moratorium अवधि की समाप्ति के पश्चात् 2 लाख रु० तक के ऋण को अधिकतम 60 मासिक किस्तों में तथा 2 लाख से उपर के ऋण को अधिकतम 84 मासिक किस्तों में वापस किया जा सकेगा। उपरोक्त निर्धारित अधिकतम अवधि से पूर्व ऋण वापसी की स्थिति में 0.25 प्रतिशत ब्याज दर की छूट दी जाएगी।

उपरोक्त निर्धारित अवधि में नियोजन नहीं होने या स्वरोजगार एवं अन्य साधनों से आय नहीं होने की स्थिति में ऋण वसूली स्थगित रखी जाएगी, किन्तु इसके लिए प्रत्येक जून एवं दिसम्बर के अंतिम पखवारे में आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र DRCC पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा कि आवेदक नियोजित/स्वरोजगार अथवा अन्य किसी साधनों से आय प्राप्त नहीं कर रहा है।

उपरोक्त वर्णित स्थितियों के अलावा सम्पूर्ण निर्धारित अवधि के पश्चात् यदि आवेदक/सह–आवेदक ऋण की वापसी नहीं करते है, तो उनके विरूद्ध PDR Act (Public Demand Recovery Act) के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

12. **राज्य स्तर पर कॉल सेंटर की स्थापना** :– इस योजना के तहत आवेदकों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित है। इसके टॉल फ्री नं० पर विद्यार्थी योजना के प्रावधान एवं आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ–साथ आवेदक अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति से भी अवगत हो सकेंगे। इस योजना के राज्य स्तरीय पदाधिकारी कॉल–सेंटर का नियमित रूप से भ्रमण करेंगे और कॉल–सेंटर में चल रही गतिविधियों की समीक्षा करेंगे।

13. **योजना का प्रचार–प्रसार** :– राज्य सरकार की इस योजना का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना की जानकारी हो और वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके।

14. इस योजना के कार्यान्वयन तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन के संबंध में कालान्तर में राज्य सरकार द्वारा कुछ संशोधन किए जाते हैं अथवा कोई निर्णय लिए जाते है तो उससे ससमय अवगत कराया जाएगा।

15. **योजना के अनुश्रवण की व्यवस्था** :–

(i) राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (State Project Management Unit) एवं वित्त विभाग के अधीन गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम इस योजना के कार्यान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

(ii) निगम जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) से प्राप्त आवेदन के निष्पादन की स्थिति के संबंध में शिक्षा विभाग को MIS का access उपलब्ध कराएगा।

(iii) जिला स्तर पर जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेगा।

(iv) जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला सुशासन के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के द्वारा किया जाएगा। जिला पदाधिकारी अपने जिले के इस योजना के प्रगति की मासिक समीक्षा करेंगे एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रभारी मंत्री–सह–अध्यक्ष, जिला सुशासन के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में रखेंगे। जिला पदाधिकारी प्रत्येक माह कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन बिहार विकास मिशन की कार्यकारी समिति, शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग को भी प्रेषित करेंगे।

(v) योजना के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले समस्याओं का समाधान शिक्षा विभाग एवं निगम अपने–अपने स्तर से करने में सक्षम होगा।

शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के संबंध में वांछित संशोधन तथा समय–समय पर अनुदेश निर्गत किए जा सकेगे।

16. <u>पूर्व में प्राप्त आवेदन–पत्रों का निष्पादन</u> :–

(i) संशोधित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगी। इससे पूर्व के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के वैसे आवेदन जो बैंक शाखाओं में ऋण स्वीकृति हेतु प्रेषित नहीं किये गए है, उनका भी निष्पादन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से होगा। ऐसे आवेदन–पत्रों की प्राप्ति की तिथि निगम को आवेदन सम्प्रेषण की तिथि मानी जाएगी।

(ii) इसके अलावा पूर्व के वैसे आवेदन जो बैंक शाखाओं में स्वीकृति (sanction) हेतु लम्बित अथवा स्वीकृति के बाद वितरण हेतु लम्बित होगें उन आवेदकों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऋण प्राप्ति की सुविधा का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) वैसे आवेदक जिनके ऋण बैंकों के द्वारा वितरित किए जा चुके है, उन्हें शेष अवधि के लिए निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा, किन्तु उन आवेदकों को ऋण राशि की वापसी के उपरांत बैंक शाखा द्वारा निर्गत no dues certificate उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(रॉबर्ट एल० चौंग्थू)
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या :– 15/पी 5–09/2015(अंश)/Part-II- पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– संकल्प की सी०डी० सहित अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

ह०/–
(रॉबर्ट एल० चौंग्थू)
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या :– 15/पी 5–09/2015(अंश)/Part-II- पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(रॉबर्ट एल० चौंग्थू)
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या :– 15/पी 5–09/2015(अंश)/Part-II- पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/कुलसचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं निदेशक, राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(रॉबर्ट एल० चौंग्थू)
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या :– 15/पी 5–09/2015(अंश)/Part-II- 617 पटना, दिनांक 28/3/2018

प्रतिलिपिः– राज्य में अवस्थित सभी अनुसूचित बैंकों के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/श्री आर० के० दास, संयोजक, एस०एल०बी०सी० एवं क्षेत्रीय प्रोग्राम मैनेजर, 3 आई० इन्फोटेक लिमिटेड, मुम्बई/Peregrine Guarding Pvt. Ltd. (TPVA) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विभागीय आई०टी० मैनेजर को संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड किया जाए।

28.3.18
(रॉबर्ट एल० चौंग्थू)
सरकार के सचिव

अनुलग्नक–'1'

Living Expenses के लिए वर्गीकृत शहरों / ग्रामीण क्षेत्रों की सूची

क्र० स०	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	वर्ग 'क' के शहर	वर्ग 'ख' के शहर	वर्ग 'ग' के शहर / ग्रामीण क्षेत्र
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	––	––	वर्ग 'क' एवं 'ख' में अंकित शहरों के अतिरिक्त अन्य सभी शहर / ग्रामीण क्षेत्र
2	आंध्र प्रदेश / तेलंगाना	हैदराबाद	विजयवाड़ा, वारंगल,ग्रेटर विशाखापट्टनम, गुंटुर, नेलौर	
3	अरूणाचल प्रदेश	––	––	
4	असम	––	गुवाहाटी	
5	बिहार	––	पटना	
6	चंडीगढ़	––	चंडीगढ़	
7	छत्तीसगढ़	––	दुर्ग–भिलाईनगर, रायपुर	
8	दादर एवं नगर हवेली	––	––	
9	दमन एवं द्वीव	––	––	
10	दिल्ली	दिल्ली	––	
11	गोवा	––	––	
12	गुजरात	अहमदाबाद	राजकोट, जामनगर, भावनगर, बड़ोदरा, सूरत	
13	हरियाणा	––	फरीदाबाद, गुड़गाँव	
14	हिमाचल प्रदेश	––	––	
15	जम्मू एवं कश्मीर	––	श्रीनगर, जम्मू	
16	झारखण्ड	––	जमशेदपुर, धनबाद, राँची, बोकारो स्टील सिटी	
17	कर्नाटक	बंगलोर / बंगलुरू	बेलगाँम, हुबली–धारवाड़, मंगलोर, मैसूर, गुलबर्ग	
18	केरल	––	कोझीकोड, कोच्चि, तिरूवंतपुरूम, तिरूपुर, मल्लपुरम, कनौर, कोलम	
19	लक्ष्यद्वीप	––	––	
20	मध्य प्रदेश	––	ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन,	
21	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई, पुणे,	अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, भिलवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर,वसई–वीररसिटी, मेलेगाँव, नांडेड–वाघला, संघली	
22	मणिपुर	––	––	
23	मेघालय	––	––	
24	मिजोरम	––	––	
25	नागालैंड	––	––	
26	उड़ीसा	––	कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला	
27	पुडुचेरी	––	पुडुचेरी	
28	पंजाब	––	अमृतसर, जालंधर, लुधियाना	

29	राजस्थान	—	बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर	
30	सिक्किम	—	—	
31	तमिलनाडु	चेन्नई	सलेम, त्रिपुर, कोयमबटुर, तिरूचिरापल्ली, मदुरई, इरोडे	
32	त्रिपुरा	—	—	
33	उत्तर प्रदेश	—	मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी,	
34	उत्तराखण्ड	—	देहरादून	
35	पश्चिमबंगाल	कोलकाता	आसनसोल, सिल्लीगुड़ी, दुर्गापुर	

अनुलग्नक–'2'

रहने, जीवन यापन एवं पाठ्य सामग्री के लिए निर्धारित मानक व्यय

क्र० स०	मद का नाम	निर्धारित दर		
		वर्ग 'क' के शहरों के लिए	वर्ग 'ख' के शहरों के लिए	वर्ग 'ग' के शहरों / ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
1	मात्र छात्रावास से बाहर किराये पर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष	12 x 5000 p.m = 60,000/- (साठ हजार) वार्षिक	12 x 4000 p.m = 48,000/- (अड़तालीस हजार) वार्षिक	12 x 3000 p.m = 36,000/- (छत्तीस हजार) वार्षिक
2	पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पठन–लेखन सामग्री	रुपये 10,000/– (दस हजार) प्रतिवर्ष		

अनुलग्नक–'3'

योजनान्तर्गत आच्छादित पाठ्यक्रमों की सूची

क्र०सं०	पाठ्यक्रम	क्र०सं०	पाठ्यक्रम
1.	B.A., B.Sc., B.Com. (All subject)	22.	Bachelor of Unani Medicine & Surgery (B.U.M.S)
2.	M.A., M.Sc., M.Com (All subject)	23.	Bachelor of Homeopathic Medicine & Surgery (B.H.M.S.)
3.	Aalim	24.	Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.)
4.	Shashtri	25.	General Nursing Midwifery (G.N.M)
5.	B.C.A.	26.	Bachelor of Physiotherapy
6.	M.C.A.	27.	Bachelor of Occupational Therapy
7.	B.Sc. (Information Technology/Computer Application/Computer Science)	28.	Diploma in Food, Nutrition/ Dietetics
8.	B.Sc. (Agriculture)	29.	Bachelor of Mass Communication/Mass Media/Journalism
9.	B.Sc. (Library Science)	30.	B.Sc. in Fashion Technology/Designing/Apparel Designing/Footwear Designing
10.	Bachelor of Hotel Management & Catering Technology (B.H.M.C.T.)	31.	Bachelor of Architecture
11.	B.Tech/B.E. for laterally admitted candidates having degree of three years diploma courses approved by the State Technical Education Council	32.	Bachelor of Physical Education (B. P. Ed.)
12.	Hotel Management and Catering Technology	32.	M.Sc/M.Tech Integrated course (जिसमें नामांकन की योग्यता +2 समकक्ष है)
13.	Hospital and Hotel Management	34.	Diploma in Food Processing/ Food Production
14.	Diploma in Hotel Management (Three Year) (I.H.M. Course)	35.	Diploma in Food & Beverage Services
15.	Bachelor in Yoga (Entry Level+2Pass)	36.	B.A./B.Sc.-B.Ed. (Integrated Courses)
16.	B.Tech, B.E., B.Sc. (Engineering-all branches)	37.	Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
17.	M.B.B.S.	38.	Master of Business Administration (M.B.A.)
18.	B.Sc. (Nursing)	39.	Bachelor of Fine Arts (B.F.A.)
19.	Bachelor of Pharmacy	40.	BL/LLB (5 Year integrated Course)
20.	Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (B.V.M.S.)	41.	Degree/Diploma in Aeronautical, Pilot Training, Shipping
21.	Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery (B.A.M.S)	42.	Polytechnic

Guideline

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (संशोधित)

1. प्रस्तावना :–

वर्तमान में राज्य का उच्च शिक्षा में GROSS ENROLMENT RATIO (GER) 14.3 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात लगभग 24 प्रतिशत है। राज्य सरकार का ध्येय है कि बिहार का GER राष्ट्रीय औसत के बराबर करते हुए 30% तक की वृद्धि करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जायें एवं राज्य को विकसित राज्यों की अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया जाए। अतः आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अन्तर्गत विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। किन्तु इस योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अनुभवों के कारण बैंकों की भूमिका को सीमित करते हुए संशोधित 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के द्वारा उच्च शिक्षा में GER की वृद्धि के साथ–साथ युवाओं के रोजगार की प्राप्ति में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

2. लक्ष्य :–

इस योजना का लक्ष्य आवश्यकता के अनुसार लचीला होगा। जितने पात्र विद्यार्थी इस योजना के लाभ हेतु इच्छुक होंगे, उतने विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 में 50,000, वित्तीय वर्ष 2019–20 में 75,000 एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में 1,00,000 अनुमानित विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने का प्रारंभिक अनुमान है।

3. योजना के लिए पात्रता :–

इस योजना के तहत बिहार राज्य के निवासी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार राज्य एवं सीमावर्त्ती राज्यों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु ऋण के लिए इच्छुक हों, उन्हें बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य है कि –

(i) विद्यार्थी द्वारा बिहार एवं अन्य राज्य या केन्द्र सरकार के संबंधित नियामक एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया गया हो या नामांकन के लिए चयनित हो।

(ii) यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों, विभिन्न व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए दी जा सकेगी। पाठ्यक्रम की सूची अनुलग्नक–3 में अंकित है, जिसमें समय–समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन कर नए पाठ्यक्रमों को शामिल या विलोपित किया जा सकेगा।

(iii) इस योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 12वीं अथवा समतुल्य (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा

बिहार राज्य के सीमावर्ती जिलों के सीमावर्ती प्रखंडों के सीमावर्ती राज्य यथा झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं प० बंगाल के विद्यालय या बोर्ड से 10वीं/ 12वीं/+2 (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) उत्तीर्ण बिहार राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा।

(iv) आवेदक विद्यार्थियों के हॉस्टल में रहने की स्थिति में आवेदक के शैक्षणिक संस्थान को राशि उपलब्ध करायी जाएगी। शिक्षण संस्थान के हॉस्टल में नहीं रहने की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए फीस के अतिरिक्त अन्य रहने के खर्च (living expenses) के लिए अनुलग्नक–'1' के अनुसार वर्गीकृत शहरों के लिए निर्धारित किये गए मानक का विवरण अनुलग्नक–'2' की निर्धारित दर पर आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। महँगाई के आधार पर रहने एवं जीवन–यापन के दर में आवश्यकतानुसार शिक्षा विभाग द्वारा वृद्धि की जा सकेगी।

(v) इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर के वैसे निर्धारित पाठ्यक्रम जिनमें नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है, के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होगी।

(vi) यदि आवेदक के पास एक स्तर की उपाधि परिलब्ध है, तो उसी स्तर की उपाधि के लिए इस योजनान्तर्गत आच्छादन नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान तकनीकी अथवा प्रबंधकीय पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। उदाहरणस्वरूप विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त व्यक्ति को पुनः कला, विज्ञान के किसी अन्य संकाय में अथवा वाणिज्य में स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। परंतु विज्ञान, कला अथवा वाणिज्य में स्नातक योग्यताधारी आवेदक को एम०बी०ए०, एम०सी०ए० इत्यादि करने के लिए योजनान्तर्गत आच्छादन की पात्रता रहेगी।

(vii) लाभार्थियों के द्वारा पढ़ाई को किसी भी कारण से बीच में छोड़ने पर ऋण की शेष राशि संस्थान या विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं करायी जाएगी अर्थात इस योजना के तहत विद्यार्थी को शिक्षा ऋण की अगली किस्त उनके संबंधित संस्थान/पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रहने की स्थिति में ही उपलब्ध कराई जा सकेगी।

4. <u>आवेदन की प्रक्रिया</u> :–

(i) इस योजना का लाभ लेने हेतु Online आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। कोई भी इच्छुक विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) उत्तीर्ण हो तथा इस योजना के लिए पात्रता रखता हो, वह Online Portal अथवा Mobile App के माध्यम से अपना आवेदन Online समर्पित कर सकता है।

(ii) सर्वप्रथम आवेदक द्वारा पोर्टल/Mobile App में सामान्य वांछित सूचनाएँ दर्ज की जाएगी, जिसे submit करने पर One Time Password उनके मोबाईल नंबर एवं ई–मेल पर प्राप्त होगा।

(iii) इस One Time Password को पोर्टल में डालने पर आवेदक को व्यक्तिगत विवरणी संबंधी प्रपत्र उपलब्ध होगा। इसमें आवश्यक सूचना दर्ज कर submit करने पर एक Web page खुलेगा, जिसमें उपलब्ध 'बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना' का ऑनलाईन प्रपत्र चयन कर उसमें वांछित सूचनाएँ दर्ज करनी होगी।

(iv) Online आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदक को इसकी प्राप्ति यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल नं० एवं ई–मेल पर क्रमशः मैसेज एवं मेल द्वारा भेज दी जाएगी।

(v) आवेदन के साथ किसी भी प्रकार का कागजात Online संलग्न नहीं किया जाना है। Online आवेदन समर्पित करने के साथ ही आवेदन प्रपत्र की एक PDF प्रति सृजित होगी, जिसमें काउण्टर पर आने के समय वांछित आवश्यक कागजातों का भी उल्लेख होगा।

(vi) जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र द्वारा आवेदक को केन्द्र पर आने हेतु तिथि एवं समय की सूचना email एवं SMS द्वारा भेजी जाएगी। यद्यपि आवेदक अपनी सुविधानुसार भी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन–पत्र की हार्ड प्रति समर्पित कर सकते है।

(vii) निर्धारित तिथि को अर्हता प्राप्त आवेदक अपने जिले के जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन–पत्र के अनुरूप वांछित सूचना एवं शिक्षा ऋण के लिए वांछित कागजात के साथ अपना आवेदन जमा करेंगे।

(viii) आवेदन की PDF प्रति पर स्व–हस्ताक्षर के उपरान्त अपना एवं सह–आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर एवं वांछित कागजातों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित संसूचित तिथि/ऐच्छिक तिथि को केन्द्र पर आयेंगे। उन्हें वांछित सभी कागजातों की मूल प्रति भी साथ में रखनी होगी।

(ix) आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के प्रवेश द्वार पर एक टोकन नम्बर दिया जाएगा, जिसके आधार पर केन्द्र के हॉल में आवेदक की प्रविष्टि होगी। आवेदक केन्द्र में प्रवेश कर प्रतीक्षा हॉल में अपने नम्बर आने की प्रतीक्षा करेंगे। आवेदक को उपलब्ध कराये गए टोकन नं० का प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बोर्ड पर किया जाएगा।

(x) आवेदक अपना क्रमांक आने पर सारे मूल प्रमाण–पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की स्वभिप्रमाणित प्रति एवं आवेदन–पत्र के PDF की हस्ताक्षरित प्रति के साथ निर्धारित काउंटर पर जायेंगे, जहाँ आवेदक के आधार का प्रमाणीकरण किया जाएगा।

(xi) मूल प्रमाण पत्र scanning के पश्चात् आवेदक को वापस कर दिए जायेंगे तथा स्व–हस्ताक्षरित आवेदन एवं अन्य कागजातों की छायाप्रति को काउंटर पर जमा कर लिया जाएगा।

(xii) कागजातों के सत्यापन के उपरांत उन्हें काउंटर से एक प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी।

(xiii) आवेदन में किसी भी प्रकार के गलत प्रविष्टि का संशोधन उसी समय Multi Purpose Assistant (MPA) द्वारा किया जा सकेगा।

5. <u>आवश्यक कागजात</u> :–

बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु इच्छुक आवेदकों को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आवेदन जमा करते समय अपने स्वहस्ताक्षरित आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों के छायाप्रति की स्वभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी :–

(i) आवेदक एवं सह–आवेदक का आधार कार्ड।

(ii) मैट्रिक, +2 (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंक–पत्र एवं प्रमाण–पत्र।

(iii) प्राप्त छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रमाण–पत्र इत्यादि (यदि लागू हो)।

(iv) आवेदक के बैंक पासबुक की छाया प्रति, जिसमें शाखा का नाम, खाता सं० एवं IFSC कोड अंकित हो।

(v) संस्थान में नामांकन का प्रमाण–पत्र जिसमें पाठ्यक्रम अवधि अंकित हो (अथवा बिहार राज्य से बाहर के संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका)।

(vi) संस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी।

(vii) आवेदक एवं सह–आवेदक यथा – माता/पिता/पति/अभिभावक (रक्त संबंधी) का दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।

(viii) आवासीय प्रमाण पत्र अथवा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो अथवा बिजली बिल अथवा टेलिफोन बिल अथवा पासपोर्ट अथवा ड्राईविंग लाईसेंस अथवा वोटर आई०डी० कार्ड अथवा मतदान हेतु प्रयुक्त प्रमाण पत्रों में से कोई एक।

6. सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के प्रवेश द्वार के समीप स्थापित 'May I Help You' काउंटर पर आवेदक को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा उनकी सामान्य पृच्छा का समाधान किया जाएगा। आवेदक अपनी पृच्छा का समाधान मुख्यालय स्तर पर स्थापित Call Centre से भी कर सकते हैं।

7. <u>आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया</u> :–

(i) आवेदक द्वारा ऑन–लाईन आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदन की PDF प्रति एवं वांछित कागजातों/प्रमाण पत्र जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर Multi Purpose Assistant (MPA) को उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) काउन्टर पर MPA द्वारा जाँचोपरांत प्राप्त आवेदन पत्र की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति सहायक प्रबंधक को उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक प्रबंधक के द्वारा आवेदक के सम्पूर्ण अर्हत्ता एवं कागजातों के उपलब्धता की सुनिश्चितता के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर आवेदन जाँच/सत्यापन हेतु Third Party Verification Agency (TPVA) को ऑन–लाईन अंतरित की जाएगी।

(iii) TPVA से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित बिन्दुओं के आधार पर नोडल पदाधिकारी द्वारा दो दिनों में ऋण की स्वीकृति की अनुशंसा करते हुए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को ऑन–लाईन प्रेषित की जाएगी। सॉफ्ट कॉपी बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को ऑन–लाईन हस्तांतरित करने के उपरांत आवेदन की हार्ड कॉपी निगम के जिला स्तरीय कोषांग को हस्तांतरित की जाएगी जहाँ निगम के प्राधिकृत पदाधिकारी उसे भविष्य के संदर्भ हेतु संधारित करेंगे। आवेदन की सॉफ्ट कॉपी के विधिवत् संधारण के संदर्भ में विस्तृत निदेश बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा निर्गत किया जाएगा।

(iv) जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र दिनांक–01.04.2018 से आवेदन निगम को भेजना प्रारंभ कर देगा। दिनांक–31.03.2018 तक जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में लंबित मामलों को भी निगम को प्रेषित किया जाएगा, जिसका निष्पादन निगम के द्वारा किया जाएगा। दिनांक–01.07.2018 से आवेदनों का निष्पादन निगम के द्वारा 15 कार्य दिवस की समय–सीमा में किया जाएगा।

(v) निगम द्वारा आवेदन को स्वीकृत करने में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर उन आपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए आवेदन नोडल पदाधिकारी को वापस किया जाएगा। ऐसे आवेदनों को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र द्वारा अधिकतम 15 कार्य दिवस में यथा स्थिति निराकरण कर निगम को वापस उपलब्ध कराया जाएगा। आपत्तियों का निराकरण संभव नहीं होने की स्थिति में नोडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा निर्गत किया जाएगा।

(vi) ऋण स्वीकृति के उपरांत आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

(vii) बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा आवेदन की स्वीकृति किए जाने के उपरांत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर उपस्थित होने हेतु आवेदक को सूचना निगम के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा SMS तथा e-mail से दी जाएगी। सूचना में उपस्थित होने की निर्धारित तिथि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। निर्धारित तिथि को आवेदक के उपस्थित होने पर ऋण के Documentation से संबंधित कार्य का निष्पादन किया जाएगा। Documentation के उपरांत निगम के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा इसकी सूचना निगम के मुख्यालय को दी

जाएगी, जहाँ से राशि आवेदक द्वारा याचित शैक्षणिक संस्थान और/अथवा आवेदक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

(viii) इस योजना के सभी स्तर पर सेवाओं के निष्पादन हेतु अधिकतम समयावधि निम्न प्रकार होगी –

क्र०सं०	गतिविधि	अधिकतम समय
1	आवेदक के काउण्टर पर उपस्थित होने के उपरांत उसके आवेदन–पत्र की MPA द्वारा प्रारंभिक जाँच, वांछित कागजातों की uploading तथा प्राप्त आवेदन को Online एवं Offline चिन्हित सहायक प्रबंधक को उपलब्ध कराना।	15 मिनट
2	चिन्हित सहायक प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन की जाँच कर उसे अपनी अनुशंसा के साथ विभागीय नामित पदाधिकारी से सहमति प्राप्त कर सत्यापन हेतु TPVA को ऑनलाईन अंतरित करना एवं हार्ड कॉपी को अपने पास संधारित रखना।	15 मिनट
3	शिक्षा विभाग द्वारा चयनित सत्यापन एजेंसी (TPVA) के द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर प्रतिवदेन उपलब्ध कराना।	आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अंदर
4	TPVA से प्राप्त प्रतिवेदन के उपरांत नोडल पदाधिकारी द्वारा ऋण की स्वीकृति की Online अनुशंसा निगम को प्रेषित करना।	प्रतिवेदन प्राप्ति के दो दिनों के अंदर
5	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा आवेदन का निष्पादन (स्वीकृत/आपत्ति) किया जाना तथा स्वीकृति की स्थिति में स्वीकृति पत्र आवेदक को तथा DRCC को एकरारनामा के लिए प्रेषित करना।	आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अंदर
6	आपत्ति प्राप्त आवेदन का आपत्ति निराकरण कर निगम को वापस उपलब्ध कराना।	15 कार्य दिवस
7	एकरारनामा हस्ताक्षरित होने के उपरांत राज्य स्तर पर गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को इसकी ऑनलाईन प्रति उपलब्ध कराना।	एकरारनामा की तिथि को
8	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा ऋण की राशि निर्गत कराना।	आवेदक द्वारा मांग किए जाने के अधिकतम 10 कार्य दिवस के अंदर

(ix) आवेदन से संबंधित प्रत्येक स्तर पर की गयी कार्रवाई की सूचना आवेदक को SMS / E-mail / Web Portal द्वारा दी जाएगी।

8. **ऋण हेतु अधिकतम राशि** :– इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण अधिकतम चार लाख रूपये तक स्वीकृत की जाएगी। इस ऋण राशि पर moratorium अवधि जो कि पाठ्यक्रम समाप्ति से एक वर्ष तक अथवा आवेदक के नियोजित होने के अधिकतम 6 माह (जो सबसे पहले हो) तक ब्याज की राशि देय नहीं होगी। इस ऋण राशि पर सरल ब्याज (simple interest) की दर 4 प्रतिशत होगी। इसके अंतर्गत महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेन्डर आवेदकों को मात्र 1 प्रतिशत सरल ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

9. **राशि का हस्तांतरण** :– शिक्षण शुल्क एवं संस्थान में जमा किये जाने वाले अन्य शुल्क RTGS/NEFT (अथवा विशेष स्थिति में Bank Draft द्वारा) के माध्यम से संस्थान को उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रावास के बाहर रहने की स्थिति में आवेदक को वर्गीकृत शहरों के लिए तय मानक के अनुरूप निर्धारित राशि तथा पाठ्य–पुस्तक एवं पठन–लेखन सामग्री हेतु निर्धारित राशि अनुलग्न 01 एवं 02 के अनुसार आवेदक के खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।

10. **ऋण राशि की अगली किस्तों का भुगतान** :– आवेदक/सह–आवेदक द्वारा वार्षिक/semester परीक्षा उत्तीर्णता या अग्रणित होने का प्रमाण–पत्र, जो अंक–पत्र अथवा संस्थान द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण–पत्र होगा, को ऑनलाईन संलग्न करते हुए अगली किस्त के भुगतान हेतु DRCC पर आवेदन उपलब्ध कराया जाएगा। नोडल पदाधिकारी के द्वारा संतुष्टि के उपरांत अधिकतम तीन दिनों के अंदर अनुशंसा पत्र उपर्युक्त अंकित अभिलेखों के साथ निगम को उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार, निर्धारित दस कार्य दिवस के अंदर निगम के द्वारा राशि विमुक्त की जाएगी। आवेदक से प्राप्त अंक पत्रक/प्रमाण पत्रों में से आवश्यकतानुसार अथवा न्यूनतम एक प्रतिशत आवेदन का सत्यापन/जाँच TPVA द्वारा कराया जा सकेगा।

11. **<u>ऋण वापसी की प्रक्रिया</u>** :– Moratorium अवधि की समाप्ति के पश्चात् 2 लाख रु० तक के ऋण को अधिकतम 60 मासिक किस्तों में तथा 2 लाख से उपर के ऋण को अधिकतम 84 मासिक किस्तों में वापस किया जा सकेगा। उपरोक्त निर्धारित अधिकतम अवधि से पूर्व ऋण वापसी की स्थिति में 0.25 प्रतिशत ब्याज दर की छूट दी जाएगी।

उपरोक्त निर्धारित अवधि में नियोजन नहीं होने या स्वरोजगार एवं अन्य साधनों से आय नहीं होने की स्थिति में ऋण वसूली स्थगित रखी जाएगी, किन्तु इसके लिए प्रत्येक जून एवं दिसम्बर के अंतिम पखवारे में आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र DRCC पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा कि आवेदक नियोजित/स्वरोजगार अथवा अन्य किसी साधनों से आय प्राप्त नहीं कर रहा है।

उपरोक्त वर्णित स्थितियों के अलावा सम्पूर्ण निर्धारित अवधि के पश्चात् यदि आवेदक/सह–आवेदक ऋण की वापसी नहीं करते है, तो उनके विरूद्ध PDR Act (Public Demand Recovery Act) के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

12. **राज्य स्तर पर कॉल सेंटर की स्थापना** :– इस योजना के तहत आवेदकों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित है। इसके टॉल फ्री नं० पर विद्यार्थी योजना के प्रावधान एवं आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ–साथ आवेदक अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति से भी अवगत हो सकेंगे। इस योजना के राज्य स्तरीय पदाधिकारी कॉल–सेंटर का नियमित रूप से भ्रमण करेंगे और कॉल–सेंटर में चल रही गतिविधियों की समीक्षा करेंगे।

13. **योजना का प्रचार–प्रसार** :– राज्य सरकार की इस योजना का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना की जानकारी हो और वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके।

14. इस योजना के कार्यान्वयन तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन के संबंध में कालान्तर में राज्य सरकार द्वारा कुछ संशोधन किए जाते हैं अथवा कोई निर्णय लिए जाते है तो उससे ससमय अवगत कराया जाएगा।

15. **योजना के अनुश्रवण की व्यवस्था** :–

(i) राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (State Project Management Unit) एवं वित्त विभाग के अधीन गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम इस योजना के कार्यान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

(ii) निगम जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) से प्राप्त आवेदन के निष्पादन की स्थिति के संबंध में शिक्षा विभाग को MIS का access उपलब्ध कराएगा।

(iii) जिला स्तर पर जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेगा।

(iv) जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला सुशासन के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के द्वारा किया जाएगा। जिला पदाधिकारी अपने जिले के इस योजना के प्रगति की मासिक समीक्षा करेंगे एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रभारी मंत्री–सह–अध्यक्ष, जिला सुशासन के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में रखेंगे। जिला पदाधिकारी प्रत्येक माह कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन बिहार विकास मिशन की कार्यकारी समिति, शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग को भी प्रेषित करेंगे।

(v) योजना के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले समस्याओं का समाधान शिक्षा विभाग एवं निगम अपने–अपने स्तर से करने में सक्षम होगा।

शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के संबंध में वांछित संशोधन तथा समय–समय पर अनुदेश निर्गत किए जा सकेगे।

16. <u>पूर्व में प्राप्त आवेदन–पत्रों का निष्पादन</u> :–

(i) संशोधित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगी। इससे पूर्व के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के वैसे आवेदन जो बैंक शाखाओं में ऋण स्वीकृति हेतु प्रेषित नहीं किये गए है, उनका भी निष्पादन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से होगा। ऐसे आवेदन–पत्रों की प्राप्ति की तिथि निगम को आवेदन सम्प्रेषण की तिथि मानी जाएगी।

(ii) इसके अलावा पूर्व के वैसे आवेदन जो बैंक शाखाओं में स्वीकृति (sanction) हेतु लम्बित अथवा स्वीकृति के बाद वितरण हेतु लम्बित होगें उन आवेदकों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऋण प्राप्ति की सुविधा का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) वैसे आवेदक जिनके ऋण बैंकों के द्वारा वितरित किए जा चुके है, उन्हें शेष अवधि के लिए निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा, किन्तु उन आवेदकों को ऋण राशि की वापसी के उपरांत बैंक शाखा द्वारा निर्गत no dues certificate उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

अनुलग्नक–'1'

Living Expenses के लिए वर्गीकृत शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों की सूची

क्र० स०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	वर्ग 'क' के शहर	वर्ग 'ख' के शहर	वर्ग 'ग' के शहर/ ग्रामीण क्षेत्र
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	––	––	वर्ग **'क'** एवं **'ख'** में अंकित शहरों के अतिरिक्त अन्य सभी शहर/ ग्रामीण क्षेत्र
2	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	हैदराबाद	विजयवाड़ा, वारंगल,ग्रेटर विशाखापट्टनम, गुंटुर, नेलौर	
3	अरूणाचल प्रदेश	––	––	
4	असम	––	गुवाहाटी	
5	बिहार	––	पटना	
6	चंडीगढ़	––	चंडीगढ़	
7	छत्तीसगढ़	––	दुर्ग–भिलाईनगर, रायपुर	
8	दादर एवं नगर हवेली	––	––	
9	दमन एवं द्वीव	––	––	
10	दिल्ली	दिल्ली	––	
11	गोवा	––	––	
12	गुजरात	अहमदाबाद	राजकोट, जामनगर, भावनगर, बड़ोदरा, सूरत	
13	हरियाणा	––	फरीदाबाद, गुड़गाँव	
14	हिमाचल प्रदेश	––	––	
15	जम्मू एवं कश्मीर	––	श्रीनगर, जम्मू	
16	झारखण्ड	––	जमशेदपुर, धनबाद, राँची, बोकारो स्टील सिटी	
17	कर्नाटक	बंगलोर/ बंगलुरू	बेलगाँम, हुबली–धारवाड़, मंगलोर, मैसूर, गुलबर्ग	
18	केरल	––	कोझीकोड, कोच्चि, तिरूवंतपुरूम, तिरूपुर, मल्लपुरम, कनौर, कोलम	
19	लक्ष्यद्वीप	––	––	
20	मध्य प्रदेश	––	ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन,	
21	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई, पुणे,	अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, भिलवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर,वसई–वीररसिटी, मेलेगाँव, नांडेड–वाघला, संघली	
22	मणिपुर	––	––	
23	मेघालय	––	––	
24	मिजोरम	––	––	
25	नागालैंड	––	––	
26	उड़ीसा	––	कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला	
27	पुडुचेरी	––	पुडुचेरी	
28	पंजाब	––	अमृतसर, जालंधर, लुधियाना	

29	राजस्थान	––	बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर	
30	सिक्किम	––	––	
31	तमिलनाडु	चेन्नई	सलेम, त्रिपुर, कोयमबटुर, तिरूचिरापल्ली, मदुरई, इरोडे	
32	त्रिपुरा	––	––	
33	उत्तर प्रदेश	––	मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी,	
34	उत्तराखण्ड	––	देहरादून	
35	पश्चिमबंगाल	कोलकाता	आसनसोल, सिल्लीगुड़ी, दुर्गापुर	

अनुलग्नक–'2'

रहने, जीवन यापन एवं पाठ्य सामग्री के लिए निर्धारित मानक व्यय

क्र० स०	मद का नाम	निर्धारित दर		
		वर्ग 'क' के शहरों के लिए	वर्ग 'ख' के शहरों के लिए	वर्ग 'ग' के शहरों / ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
1	मात्र छात्रावास से बाहर किराये पर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष	12 x 5000 p.m = 60,000/- (साठ हजार) वार्षिक	12 x 4000 p.m = 48,000/- (अड़तालीस हजार) वार्षिक	12 x 3000 p.m = 36,000/- (छत्तीस हजार) वार्षिक
2	पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पठन–लेखन सामग्री	रुपये 10,000 / – (दस हजार) प्रतिवर्ष		

अनुलग्नक–'3'

योजनान्तर्गत आच्छादित पाठ्यक्रमों की सूची

क्र०सं०	पाठ्यक्रम	क्र०सं०	पाठ्यक्रम
1.	B.A., B.Sc., B.Com. (All subject)	22.	Bachelor of Unani Medicine & Surgery (B.U.M.S)
2.	M.A., M.Sc., M.Com (All subject)	23.	Bachelor of Homeopathic Medicine & Surgery (B.H.M.S.)
3.	Aalim	24.	Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.)
4.	Shashtri	25.	General Nursing Midwifery (G.N.M)
5.	B.C.A.	26.	Bachelor of Physiotherapy
6.	M.C.A.	27.	Bachelor of Occupational Therapy
7.	B.Sc. (Information Technology/Computer Application/Computer Science)	28.	Diploma in Food, Nutrition/ Dietetics
8.	B.Sc. (Agriculture)	29.	Bachelor of Mass Communication/Mass Media/Journalism
9.	B.Sc. (Library Science)	30.	B.Sc. in Fashion Technology/Designing/Apparel Designing/Footwear Designing
10.	Bachelor of Hotel Management & Catering Technology (B.H.M.C.T.)	31.	Bachelor of Architecture
11.	B.Tech/B.E. for laterally admitted candidates having degree of three years diploma courses approved by the State Technical Education Council	32.	Bachelor of Physical Education (B. P. Ed.)
12.	Hotel Management and Catering Technology	32.	M.Sc/M.Tech Integrated course (जिसमें नामांकन की योग्यता +2 समकक्ष है)
13.	Hospital and Hotel Management	34.	Diploma in Food Processing/ Food Production
14.	Diploma in Hotel Management (Three Year) (I.H.M. Course)	35.	Diploma in Food & Beverage Services
15.	Bachelor in Yoga (Entry Level+2Pass)	36.	B.A./B.Sc.
16.	B.Tech, B.E., B.Sc. (Engineering-all branches)	37.	Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
17.	M.B.B.S.	38.	Master of Business Administration (M.B.A.)
18.	B.Sc. (Nursing)	39.	Bachelor of Fine Arts (B.F.A.)
19.	Bachelor of Pharmacy	40.	BL/LLB (5 Year integrated Course)
20.	Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (B.V.M.S.)	41.	Degree/Diploma in Aeronautical, Pilot Training, Shipping
21.	Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery (B.A.M.S)	42.	Polytechnic